

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 665वीं बैठक दिनांक 03/08/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 10221/2023 Shri Pankaj Patidar, Lessee, 465, Ward No. 07, Gandhi Marg, Bus Stand Anjad, District-Barwani (MP)-451556, Prior Environment Clearance for Palasia Stone Quarry in an area of 1.950 ha. (25080 cum per year) (Khasra No. 161), Village-Palasiya, Tehsil-Anjad, District-Barwani (MP)**

परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज पाटीदार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri PANKAJ PATIDAR, Lessee, 465, Ward No/07 Gandhi Marg, bus Stand, Anjad, Barwani, District-Badwani, (M.P.) - 451556	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	161(सरकारी—नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.95 Hectares
स्थल	Village- Palasia, Tehsil- Anjad, Distt. – Barwani (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 699 दिनांक 28/07/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार कंट्रोल ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-25,080 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-25,080 घनमीटर/वर्ष	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

	हेतु स्वीकृत है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 946 दिनांक 14/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 06.95 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-.... श्रेणी के अंतर्गत आता है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 699 दिनांक 28/07/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 699 दिनांक 28/07/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पलासिया जिला बड़वानी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-23 दिनांक 15/08/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में से एक नाला जैसी संरचना दिख रही है, उत्तर एवं उत्तर-पूर्व दिशा में – नहर 190 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-46 के सरल क्रमांक-6 पर दर्ज है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान के खदान क्षेत्र में से एक नाला जैसी संरचना दिख रही है एवं उत्तर दिशा- नहर 190 मीटर, उत्तर पूर्व – नहर 190 मीटर है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन फोटोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. क्षेत्र में जल रिसाव बढ़ाने तथा स्वाइल इरोजन को रोकने के उद्देश्य से क्षेत्र की जल प्रवाह प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाये ।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

2. Case No 10197/2023 Shri Devendra Kumar Singh, General Manager (Environment), M/s KJS Cements (I) Ltd, NH-7, Rewa Road, Village-Amilia-Lakhwar, PO-Maihar, District-Satna (MP)-485771, Prior Environment Clearance for Bhatia Limestone Mine in an area of 8.094 ha. (Limestone-115817, Mine Waste-10295 TPA) (Khasra No. 886, 887, 888, 889, 890, 893, 901), Village-Batiya, Tehsil-Maihar, District-Satna (MP)

परियोजना प्रस्तावक देवेन्द्र कुमार सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्वाटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Devendra Kumar Singh, General Manager (Environment), M/s KJS Cements (I) Ltd, NH-7, Rewa Road, Amilia-Lakhwar village, PO Maihar, Satna (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	886, 887, 888, 889, 890, 893 901 (सरकारी एवं निजी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 8.094 Ha.
स्थल	ग्राम BATIYA तसहील Maihar जिला Satna (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के एफ-3-202/74/ 12-2 दिनांक 23/10/10 द्वारा स्थानांतरित ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लाईम स्टोन-1,15,817 टीपीए, माइन वेस्ट-10,295 टीपीए एवं स्वाइल-2590 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1025 दिनांक 29/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 139.389 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 का है ।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1025 दिनांक 29/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1025 दिनांक 29/05/23 अनुसार नहीं परंतु लीज क्षेत्र के उत्तरी सीमा से बढिया चोरहटा पक्का मार्ग निकलता है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्रामसभा ठहराव प्रस्ताव अपलोड नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान के अंदर उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में एक पक्की रोड़ निकल रही है तथा खदान का मध्य भाग खुदा हुआ है । पश्चिम दिशा- आबादी 400 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	मुख्य खनिज होने के कारण लागू नहीं ।

कुछ भू-स्वामियों की परियोजना प्रस्तावक के लिए सहमति पत्र एवं ग्रामसभा ठहराव प्रस्ताव अपलोड नहीं है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. आवंटित खनन क्षेत्र का मध्य भाग खुदा हुआ है, अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजों (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन फोटोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

7. आवंटित खदान के संबंध में पूर्व से खनन की स्थिति के अनुसार कालक्रम (क्रोनोलॉजी) विवरण दिया जाये।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. Case No 10259/2023 Shri Prem Chouhan, Lessee, R/o Village-Shankargarh, Tehsil & District-Dewas (MP)-455001, Prior Environment Clearance for Khatamba Stone & Murrum Quarry in an area of 3.00 ha. (Stone-10000, Murrum-6000 cum per year) (Khasra No. 197/1), Village-Khatamba, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रेम चौहान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri PREM CHOUHAN, Lessee, KHATAMBA MURRUM & STONE QUARRY Village- Shankargarh, Tehsil & District- Dewas, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	197/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 hectares
स्थल	Village Khatamba, Tehsil Dewas, District Dewas(M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 743 दिनांक 10/03/23 के द्वारा स्वीकृत।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया देवास के पत्र क्रमांक 241 दिनांक 14/09/18 के द्वारा मुरुम-6,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम-6,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम-6,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 829 दिनांक 15/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 22.250 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 829 दिनांक 15/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

	क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 829 दिनांक 15/03/23 अनुसार ग्रामीण कच्चा रास्ता प्रतिबंधित दूरी 10 मीटर की दूरी से दूर है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खटाम्बा जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15/08/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान पठार पर स्थित है एवं कुछ भाग खुदा हुआ है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-30 के सरल क्रमांक-8 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः डिया की अन्य शर्तों के साथ विगत वर्षों में खनिज का कितना उत्पादन कार्य किया गया उसका वर्षवार विवरण, फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पूर्णतः पालन प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन फोटोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. खदान में पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का कोई पालन परिलक्षित नहीं दिख रहा है, अतः भविष्य में कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 01-02 वर्ष में पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन करेंगे ।
4. खदान क्षेत्र में स्वाइल का माईक्रो एवं मेक्रो एलीमेंट एनालिसिस प्रस्तुत करें ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. चूंकि आवंटित स्थल पठार पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओवरल बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

4. Case No 10255/2023 Ms Roli Gupta, Lessee, Plot No. 91/92, Gulab Bihar Colony, District-Sehore (MP)-466001, Prior Environment Clearance for Kasba Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (20080 cum per year) (Khasra No. 1014), Village –Kasba, Tehsil-Sehore , Distt-. Sehore (MP)

परियोजना प्रस्तावक रोली गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	ROLI GUPTA, Lessee, plat no-91/92 gulab bihar colony , district- sehore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1014 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 Hectares.
स्थल	Village –Kasba, Tehsil- Sehore , Distt-. Sehore, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के पत्र क्रमांक 2895 दिनांक 01/09/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-20,080 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-20,080 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 811 दिनांक 01/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 सदृश अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 15.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 811 दिनांक 01/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 811 दिनांक 01/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक,	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

	रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम परिषद् सिहोर जिला सिहोर के पत्र क्रमांक 2080 दिनांक 02/04/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से निकाय को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र का उत्तर पूर्वी भाग खुदा हुआ है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपठनीय है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. आवंटित खनन क्षेत्र का उत्तरी पूर्वी भाग खुदा हुआ है अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजों (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन फोटोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. क्षेत्र में जल रिसाव बढ़ाने तथा स्वाईल इरोजन को रोकने के उद्देश्य से क्षेत्र की जल प्रवाह प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाये।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. **Case No 10141/2023 Shri Khem Yadav, Owner, R/o House No. 155, Gram-Mangeli, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP)-482051, Prior Environment Clearance for Dhadra Crusher Stone and Murrum Quarry in an area of 1.40 ha. (Stone-10285, Murrum-7770 cum per year) (Khasra No. 112/2), Village- Dhadra, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP)**

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

परियोजना प्रस्तावक श्री खेम यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri KHEM YADAV, Owner, House no.-155, Gram-mangeli, Tehsil-Jabalpur Dist-Jabalpur(M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	112/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.400 Ha.
स्थल	Village – Dhadra, Tehsil – Jabalpur, District Jabalpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 11789 दिनांक 05/09/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-10,285 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम-7,770 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार एवरेज पत्थर-10,285 घनमीटर/वर्ष एवं मुरुम-7,770 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3336 दिनांक 09/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 12 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 27.04 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3336 दिनांक 09/12/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं है । वन सीमा कक्ष क्रमांक आर.एफ. 73 से 210 मीटर दूर होने से प्रकरण को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित वन सीमा से 250 मीटर की परिधि आने वाले प्रकरणों के निराकरण हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 24/08/21 को खदान स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त की गई ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3336 दिनांक 09/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तिखारी जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 दिनांक 02/10/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र का पश्चिमी भाग खुदा हुआ है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-48 के सरल क्रमांक-93 पर दर्ज है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन फोटोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. प्रश्नाधीन खदान वन सीमा कक्षा क्रमांक आर.एफ. 73 से 210 मीटर दूर होने के कारण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गई अनुसंशाओं का पालन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. आवंटित खनन क्षेत्र का पश्चिमी भाग खुदा हुआ है, अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजों (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

6. Case No 10127/2023 M/s Shri Harsiddhi Stone Crusher, R/o Gram-Rajoda, Kelod Road, District-Dewas (MP)-455001, Prior Environment Clearance for Barkhedi Stone Quarry in an area of 2.25 ha. (Stone-10500, M-Sand-19500 cum per year) (Khasra No. 2/2, 3, 4, 5/2), Village-Barkhedi, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री शिवम चौधरी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	SHRI HARSIDDHI STONE CRUSHER, Gram Rajoda Kelod Road Dewas (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2/2,3,4,5/2 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.25 Ha.
स्थल	Village Barkhedi, Tehsil & District Dewas , (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 1161 दिनांक 27/04/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-10,500 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सैंड-19,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-10,500 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सैंड-19,500 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1262 दिनांक 02/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.97 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1262 दिनांक 02/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1262 दिनांक 02/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरखेड़ा कोतापाई जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 02/06/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र का पश्चिम भाग खुदा हुआ है । दक्षिण पश्चिम दिशा— कच्चा रोड़ खदान से लगा हुआ है संभवतः हॉलेज रोड़ है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-86 के सरल क्रमांक-103 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. आवंटित खनन क्षेत्र का मध्य भाग खुदा हुआ है, अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजों (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन फोटोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. आसपास के क्षेत्र में होने वाली खनन गतिविधियों के कारण पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में क्युमुलेटिव पर्यावरणीय अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. प्रस्तावित एम-सैण्ड संयंत्र से उत्पन्न होने वाली स्लरी के प्रबंधन हेतु स्लरी प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाये।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

7. Case No 10258/2023 Shri Hukum Raghuvanshi, Lease Owner, R/o Nanaji Wali Gali, Ward No. 02, Ganjbasoda, District-Vidisha (MP)-464221, Prior Environment Clearance for Chorawar Stone Mine in an area of 1.70 ha. (8320 cum per year) (Khasra No. 27/3), Village- Chorawar, Tehsil- Basauda, Distt.- Vidisha, (M.P.)

परियोजना प्रस्तावक श्री हुकुम रघुवंशी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri HUKUM RAGHUVANSHI, lease owner, Chorawar Stone Mine, R/o nanaji wali gali, ward no-02, ganjbasauda, district- Vidisha(M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	27/3 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.700 hectares
स्थल	Village- Chorawar, Tehsil- Basauda, Distt.- Vidisha, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 17201-202 दिनांक 15/12/22 के द्वारा स्वीकृत।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लैस्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लैस्टिंग प्रस्तावित है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	कार्यालय कलेक्टर, जिला विदिशा के पत्र क्रमांक 2709 दिनांक 07/09/17 द्वारा पत्थर-8,320 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-8,320 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-8,320 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 414 दिनांक 10/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 11 अन्य खदानें स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 26.55 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 414 दिनांक 10/02/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

अनापत्ति	क्रमांक 414 दिनांक 10/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चोरावर जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-8 दिनांक 15/08/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र खुदा हुआ है । प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः डिया की अन्य शर्तों के साथ विगत वर्षों में खनिज का कितना उत्पादन कार्य किया गया उसका वर्षवार विवरण, फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पूर्णतः पालन प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन फोटोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. खदान में पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का कोई पालन परिलक्षित नहीं दिख रहा है, अतः भविष्य में कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 01-02 वर्ष में पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन करेंगे ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. खदान क्षेत्र को पूर्णतः चिन्हांकित करने हेतु डीएसआर में अतिरिक्त क्वार्टिनेट दर्शाये जायें ।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

8. Case No 10300/2023 M/s Khalsa Mines & Resources, R/o E-45, Treasure Vihar, Treasure Town, Bijalpur, District-Indore (MP)-452012, Prior Environment Clearance for Ravad Stone Quarry Deposit in an area of 2.128 ha. (Stone-10000, M-sand-25000 cum per year) (Khasra No. 05), Village-Rawad, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP)

परियोजना प्रस्तावक M/s Khalsa Mines & Resources एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	KHALSA MINES & RESOURCES, R/o E-45, Treasure Vihar Treasure Town Bijalpur, District - Indore, Madhya Pradesh	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	5 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.128 hectares.
स्थल	Village: Ravad, Tehsil- Depalpur & District: Indore, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 2078 दिनांक 18/11/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इंदौर के पत्र क्रमांक 342 दिनांक 10/12/18 के द्वारा पत्थर-5000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष एवं मए-सैंड-25,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष एवं मए-सैंड-25,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 847 दिनांक 18/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.12 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 847 दिनांक 18/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 अगस्त 2023

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 847 दिनांक 18/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रावद जिला इंदौर के पत्र दिनांक 21/10/98 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र पूर्व दिशा एवं मध्य में खुदा हुआ है। प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। खदान के अंदर कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। उत्तर पश्चिम दिशा— भवन 189 मीटर पश्चिम दिशा— पक्की रोड़ 26 मीटर, भवन 35 मीटर एवं 44 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-50 के सरल क्रमांक-107 पर दर्ज है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः डिया की अन्य शर्तों के साथ विगत वर्षों में खनिज का कितना उत्पादन कार्य किया गया उसका वर्षवार विवरण, फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पूर्णतः पालन प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. खदान में पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का कोई पालन परिलक्षित नहीं दिख रहा है, अतः भविष्य में कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 01-02 वर्ष में पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन करेंगे।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
6. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. भू स्वामित्व के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. Case No 10256/2023 Shri Ratnakar Chaturvedi, Proprietor, Mukhtiyaarganj, District-Satna (MP)-485001, Prior Environment Clearance for Karigohi Laterite Deposit in an area of 2.024 ha. (16145 cum per year) (Khasra No. 833/2, 840/1/2), Village-Karigohi, Tehsil-Majhgawan, District-Satna (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रत्नाकर चतुर्वेदी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri RATNAKAR CHATURVEDI, Proprietor, Karigohi Laterite Deposit Mukhtiyaarganj, Satna (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	833/2, 840/1/2 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड, परियोजना प्रस्तावक के लिए भू-स्वामी की सहमति पत्र ऑनलाईन अपलोड) 2.024 ha.
स्थल	Village-Karigohi, Tehsil-Majhgawan District - Satna, Madhya Pradesh.
लीज स्वीकृति	संचालक, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 12225 दिनांक 13/09/22 के द्वारा स्वीकृत।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेटराइट-16,145 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार लेटराइट-45,205 टीपीए है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 959 दिनांक 16/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 16.879 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1. श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 959 दिनांक 16/05/23 अनुसार आवेदित स्थल से रानीपुर अभ्यारण्य (उ.प्र.) की दूरी 05.68 कि.मी. है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 959 दिनांक 16/05/23 अनुसार 500 मीटर की आबादी है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत कारीगोही जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-9 दिनांक

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

पंचायत की अनापत्ति	10/04/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान के अंदर कई पेड़ हैं, अतः विस्तृत ट्री इनवेंटरी आवश्यक है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— आबादी 45 मीटर
	दक्षिण दिशा— कच्ची रोड़ 28 मीटर, पक्का रोड़ 357 मीटर दक्षिण पूर्व — आवासीय भवन 188 मीटर, कच्चा रोड़ 184 मीटर
	पूर्व दिशा— आबादी 260 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना ने पत्र क्रमांक 960 दिनांक 16/05/23 द्वारा सूचित किया है कि उपरोक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में स्वीकृत उत्खनिपट्टा शामिल किया जावेग । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

1. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में आबादी 45 मीटर, दक्षिण दिशा में कच्ची रोड़ 28 मीटर, पक्का रोड़ में 357 मीटर, दक्षिण पूर्व में आवासीय भवन 188 मीटर, कच्चा रोड़ 184 मीटर एवं पूर्व दिशा में आबादी 260 मीटर है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. आवंटित खनन् क्षेत्र का उत्तरी भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि हमको खदान इसी स्थिति में मिली है तथा जो पिट दिख रहा है वह 2014 से है अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजों (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. प्रस्तावित खदान निजी कृषि योग्य भूमि पर है अतः विगत 03 वर्षों का स्थानीय पटवारी से प्रमाणित कृषि उत्पाद की जानकारी प्रस्तुत करें।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No 10108/2023 Shri Abhay Jain, Lease Owner, 29, Ward No. 04, Hatpura, District-Agar Malwa (MP)-465441, Prior Environment Clearance for Bhilwadiya Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 672/Min-1, 673/Min-1), Village-Bhilwara, Tehsil-Shajapur, District-Shajapur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री अभय जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवयारो केयर, भोपाल द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri ABHAY JAIN, Lease Owner, 29, Ward No. 04, Hatpura Agar Malwa, District -Agar Malwa (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	672/Min-1 & 673/Min-1 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 Ha.
स्थल	ग्राम BHILWARA तसहील Shajapur जिला Shajapur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 528 दिनांक 27/05/19 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 528 दिनांक 27/05/19 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 10.364 हे. होता है, अतः	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

	प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 528 दिनांक 27/05/19 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 528 दिनांक 27/05/19 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भीलवाडिया जिला शाजापुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 दिनांक 17/12/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कई पेड़ लगे हैं, अतः विस्तृत ट्री इनवेंटरी आवश्यक है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र पठार पर स्थित है । पूर्व दिशा- पवन चक्की 298 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-55 के सरल क्रमांक-5 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान के पूर्वी भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में पवन चक्की 298 मीटर है । अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

6. चूँकि आवंटित स्थल पठार पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. क्षेत्र में जल रिसाव बढ़ाने तथा स्वाइल इरोजन को रोकने के उद्देश्य से क्षेत्र की जल प्रवाह प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाये ।

अनुशंसा :— उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

11. Case No 10232/2023 Shri Mukesh Gupta, Partner, M/s Strong Ceramics, R/o New Bus Stand, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Magarhata and Paraikap Dolomite in an area of 3.800 ha. (102780 TPA) (Khasra No. 3, 4, 23), Village-Magarhata and Paraikap, Tehsil Badwara, Distt. Katni (M.P.).

परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्वाटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri MUKESH GUPTA, Partner, M/s Strong Ceramics, New bus Stand Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3, 4 and 23(निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू-स्वामी की सहमति पत्र अपलोड नहीं है)	3.800 hectares.
स्थल	Village – Magarhata and Paraikap, Tehsil Badwara, Distt. Katni (M.P.).	
लीज स्वीकृति	संचालक, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 13628-29 दिनांक 03/10/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार कंट्रोल ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलामाइट-1,02,780 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार डोलामाइट-34,945 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 820 दिनांक 03/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

	संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 09.763 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 820 दिनांक 03/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 820 दिनांक 03/05/23 अनुसार आवेदित क्षेत्र के पश्चिम भाग से लगा हुआ 01 नाला है । नाला से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़ी गई है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरगवां नं.-2 जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 15 दिनांक 13/11/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र के अंदर कुछ पेड़ लगे हैं ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा- कच्चा रोड़ 40 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-69 के सरल क्रमांक-42 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण-पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा- कच्चा रोड़ 40 मीटर पर है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. खदान क्षेत्र की स्वाइल प्रोफाईल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. खदान क्षेत्र में गेमप्रूफ फेंसिंग का प्रस्ताव किया जाये ।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

12. Case No 10107/2023 Shri Rahul Gadia, Lessee, M/s SHREE SANWARIYA INFRASTRUCTURES, 37-38 Arihant Parisar , Hira Milmarg, Koyla Fatak, District – Ujjain (M.P.) Prior Environment Clearance for Chakjairampur Stone for Stone & M-Sand in an area of 1.99 ha. (Stone-10000, M-Sand-15000 cum per year) (Khasra No. 170, 172, 173, 174/2, 176/1, 169/2), Village-Chakjai Rampur, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल गदिया द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंगेक्स, उदयपुर, राजस्थान के स्थान पर मेसर्स एंबीएंटल ग्लोबल प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. को सलाहकार नियुक्त किया है । परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल गदिया द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Rahul Gadia, Lessee, M/s SHREE SANWARIYA INFRASTRUCTURES, 37-38 Arihant Parisar , Hira Milmarg, Koyla Fatak, District –Ujjain (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	170,172,173,174/2,176/1,169/2 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.990 Ha.
स्थल	Village Chakjairampur, Tehsil & District Ujjain (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 1442 दिनांक 18/11/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर गिट्टी-10,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सैंड-15,000 हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर गिट्टी-10,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सैंड-15,000 हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

में अन्य खदानें	769 दिनांक 12/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 14 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 22.44 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 769 दिनांक 12/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 769 दिनांक 12/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हरसोदन जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 दिनांक 15/08/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र पूर्व दिशा में खुदा हुआ है ।
	पश्चिम दिशा- आबादी 360 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के के सरल क्रमांक-48 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. आवंटित खनन क्षेत्र का पूर्व भाग खुदा हुआ है, अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजों (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. खदान क्षेत्र के आसपस क्यूम्यूलिटिव पर्यावरण प्रभाव अध्ययन ई.आई.ए. रिपोर्ट में शामिल कर प्रस्तुत करें ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023**

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No 10110/2023 Shri Bharat Singh, Proprietor, R/o Ward No. 10, Jivangarh, Alot, District-Ratlam (MP)-457118 Prior Environment Clearance for Jeevangarh Stone Mine in an area of 2.00 ha. (19380 cum per year) (Khasra No. 369), Village-Jeevangarh, Tehsil-Alot, District-Ratlam (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री भरत सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri BHARAT SINGH, Proprietor, Ward no. 10 , Jivangarh , Alote, Ratlam, (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	369 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 ha.
स्थल	Village-Jeevangarh, Tehsil-Alote, District-Ratlam, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 731 दिनांक 31/03/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/ बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार कंट्रोल ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-19,380 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर- पत्थर-19,380 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 822 दिनांक 17/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 06.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 822 दिनांक 17/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 822 दिनांक 17/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत माऊखेड़ी जिला जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-9 दिनांक 14/04/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र लगभग 20 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है । पश्चिम दिशा- पक्का रोड़ 302 मीटर

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा- पक्का रोड़ 302 मीटर पर है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. चूँकि आवंटित स्थल पहाड़ी पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओवरल बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. क्षेत्र में जल रिसाव बढ़ाने तथा स्वाईल इरोजन को रोकने के उद्देश्य से क्षेत्र की जल प्रवाह प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाये।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

9. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. Case No 10158/2023 Shri Paramjeet Kalra, Project Proponent, R/o House No. 106, Shahanshah Garden, Punjabi Bagh, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Chandbad Kadeem Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (22500 cum per year) (Khasra No. 345), Village Chandbad Kadeem, Tehsil - Berasia, District Bhopal (M.P.)

परियोजना प्रस्तावक श्री परमजीत कालरा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवयारो केयर, भोपाल द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri PARAMJEET KALRA, Project Proponent, House no.106, Shahnshah Garden, Punjabi Bagh, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	345 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 Ha.
स्थल	Village Chandbad Kadeem, Tehsil - Berasia, District Bhopal (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 206 दिनांक 06/02/08 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया भोपाल के पत्र क्रमांक 898 दिनांक 15/06/17 द्वारा पत्थर-22,500 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-22,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-22,500 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1995 दिनांक 16/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 14 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 40.786 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1. श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय वन मण्डल, भोपाल के पत्र क्रमांक 4038 दिनांक 01/09/15	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

की अनापत्ति	अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय अपर तहसीलदार, तहसील बैरसिया भोपाल के पत्र क्रमांक 420 दिनांक 24/08/15 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चांदबड़ कदीम जिला भोपाल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-01 दिनांक 16/09/07 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग खुदा हुआ है । प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-35 के सरल क्रमांक-82 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः डिया की अन्य शर्तों के साथ विगत वर्षों में खनिज का कितना उत्पादन कार्य किया गया उसका वर्षवार विवरण, फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पूर्णतः पालन प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
3. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन फोटोग्राफ (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. खदान में पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का कोई पालन परिलक्षित नहीं दिख रहा है, अतः भविष्य में कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 01-02 वर्ष में पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन करेंगे ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. Case No 10188/2023 Shri Gurjeet Kalra, Project Proponent, R/o House No. 106, Shahanshah Garden, Punjabi Bagh, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Chandbad Kadeem Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (17955 cum per year) (Khasra No. 379/2/2, 384/1, 385, 393), Village- Chandbad Kadeem, Tehsil- Berasia, District- Bhopal (M.P.)

परियोजना प्रस्तावक गुरजीत कालरा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवयारो केयर, भोपाल द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GURJEET KALRA, Project Proponent, House No. 106 Shahanshah Garden, Punjabi Bagh, Bhopal (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	379/2/2, 384/1, 385 & 393 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.00 Ha.
स्थल	Village- Chandbad Kadeem, Tehsil- Berasia, District- Bhopal (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 481 दिनांक 17/04/15 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया भोपाल के पत्र क्रमांक 802 दिनांक 15/6/17 द्वारा पत्थर-17,955 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-17,955 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-17,955 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2094 दिनांक 20/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 11 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 29.789 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय वन मण्डल, भोपाल के पत्र क्रमांक 5154 दिनांक 03/11/15 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय तहसीलदार, तहसील बैरसिया, भोपाल के पत्र क्रमांक 415 दिनांक 05/10/15 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चादबड़ कदीम जिला भोपाल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-2 दिनांक 11/09/14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र का मध्य भाग खुदा हुआ है। प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-28 के सरल क्रमांक-22 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः डिया की अन्य शर्तों के साथ विगत वर्षों में खनिज का कितना उत्पादन कार्य किया गया उसका वर्षवार विवरण, फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पूर्णतः पालन प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. खदान में पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का कोई पालन परिलक्षित नहीं दिख रहा है, अतः भविष्य में कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 01-02 वर्ष में पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन करेंगे।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. Case No 10109/2023 Shri Rabhpreet Kalra, Project Proponent, R/o House No. 106, Shahanshah Garden, Punjabi Bagh, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Chandbad Kadeem Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (17955 cum per year) (Khasra No. 379/2/3, 383, 384/2, 395/1/1), Village- Chandbad Kadeem, Tehsil-Berasia, District- Bhopal (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रबप्रीत कालरा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवयारो केयर, भोपाल द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri RABHPREET KALRA, Project Proponent, House No. 106, Shahanshah Garden, Punjabi Bagh (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	379/2/3, 383, 384/2, 395/1/1 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड-भू-स्वामी की सहमति पत्र अपलोड नहीं)	2.00 Ha.
स्थल	Village- Chandbad Kadeem, Tehsil- Berasia, District- Bhopal (MP)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 479 दिनांक 17/04/15 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया भोपाल के पत्र क्रमांक 810 दिनांक 15/06/17 द्वारा पत्थर-17,955 घनमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-17,955 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-17,955 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2100 दिनांक 20/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 12 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 31.789 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की	वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल, भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5155	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

अनापत्ति	दिनांक 03/11/15 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	तहसीलदार, तहसील बैरसिया भोपाल के पत्र क्रमांक 414 दिनांक 05/10/15 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जैतपुरा कदीम जिला भोपाल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-2 दिनांक 02/11/14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र का मध्य भाग खुदा हुआ है। प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 29 के सरल क्रमांक-25 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः डिया की अन्य शर्तों के साथ विगत वर्षों में खनिज का कितना उत्पादन कार्य किया गया उसका वर्षवार विवरण, फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पूर्णतः पालन प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की झोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. खदान में पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का कोई पालन परिलक्षित नहीं दिख रहा है, अतः भविष्य में कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 01-02 वर्ष में पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन करेंगे।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

17. Case No 10187/2023 Shri Amit Chauhan, Owner, R/o Adaypur Kamarjee, Tehsil-Churhat, District-Sidhi (MP)-486771, Prior Environment Clearance for Harraha Stone Quarry in an area of 1.760 ha. (17447 cum per year) (Khasra No. 13/2/1, 13/2/2, 13/3/1, 14/1 & 8/1), Village-Harraha, Tehsil- Mauganj, District- Rewa (M.P.).

परियोजना प्रस्तावक श्री अमित चौहान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri AMIT CHAUHAN, Owner, R/o-Adaypur Kamarjee Tehsil-Churhat, District- Sidhi,M.P
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	13/2/1, 13/2/2, 13/3/1, 14/1 & 8/1 (सरकारी एवं निजी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) भू-स्वामी की सहमति पत्र परिवेश पोर्टल अपलोड नहीं है । 1.760 Hectares
स्थल	Village-Harraha, Tehsil- Mauganj, District- Rewa (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 8726 दिनांक 22/12/22 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-17,447 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-17,447 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1512 दिनांक 01/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 16 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 25.226 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1512 दिनांक 01/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

	पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं है । खदान से वन क्षेत्र की दूरी 50 मीटर होने से आयुक्त रीवा संभाग रीवा की अध्यक्षता में वन समिति के समक्ष प्रकरण को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया। प्रकरण में बैठक दिनांक 05/08/22 को समिति द्वारा वन सीमा से 50 मीटर दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र में स्वीकृत अनुमति प्रदान की गई है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1512 दिनांक 01/05/23 अनुसार 300 मीटर पर 3-4 मकान, 180 मीटर पर शासकीय भवन, आवेदित भूमि से 10 मीटर पर रास्ता लगा हुआ एवं 240 मीटर की दूरी पर नदी है । शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हरहा जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 02/10/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में पश्चिम दिशा में कुछ पेड़ हैं ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र के अंदर 01-02 मकान जैसी संरचना दिख रही है। उत्तर दिशा- पक्का रोड़ 97 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा ने पत्र क्रमांक 1513 दिनांक 01/05/23 द्वारा सूचित किया है कि उक्त खदान को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण-पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान क्षेत्र के अंदर 01-02 मकान जैसी संरचना दिख रही है एवं उत्तर दिशा- पक्का रोड़ 97 मीटर पर है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. ओवरल बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No 10134/2023 Shri Hameer Singh Patel, President, JV, M/s Khadan Udhoyog Sahkari Sanstha Marya, R/o Jiwajiganj, Tehsil and District-Morena (MP)-476001, Prior Environment Clearance for Kheriya Chunheti Crusher Stone in an area of 2.50 ha. (28500 cum per year) (Khasra No.-1), Village-Malkhanpura, Tehsil-Morena, District-Morena (MP).

परियोजना प्रस्तावक Shri Hameer Singh Patel, President, JV, M/s Khadan Udhoyog Sahkari Sanstha Marya, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि, नोयडा, (उ.प्र.) द्वारा दिनांक 03/08/2023 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / क0 / संस्थान का नाम व पता	Shri Hameer Singh Patel, President, JV, M/s Khadan Udhoyog Sahkari Sanstha Marya, R/o Jiwajiganj, Tehsil and District-Morena (MP)-476001, Prior Environment Clearance for Kheriya Chunheti Crusher Stone in an area of 2.50 ha. (28500 cum per year) (Khasra No.-1), Village-Malkhanpura, Tehsil-Morena, District-Morena (MP) [433881]	
परियोजना का खसरा नं./ लीज क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	खसरा न0. — 1, ग्राम — मल्खानपुरा, तह.— मुरैना, जिला — मुरैना (म.प्र.).	2.50 हेक्टेयर, शासकीय भूमि (पहाड़).
परियोजना की श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-1 श्रेणी, ToR (Proposed ToR Submitted by PP).	
खनन कार्य: ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	मफल ब्लास्टिंग की जावेगी। (परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार)। माइन प्लान अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित की गई है (पेज न0.—16.)।	
प्रकरण की स्थिति (नया/ क्षमता विस्तार)	नया	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन — 28,500मी³/वर्ष हेतु (परिवेश पोर्टल	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

	पर अपलोड जानकारी अनुसार) आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन – 1,25,000 मी³/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
सैद्धांतिक सहमति/LOI	पत्र क्र०. 1033 दिनांक 16/08/2021.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 436 दिनांक 17/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान संचालित है, जिनका कुल रकबा 16.25 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	वनसंरक्षक सामान्य वनमण्डल मुरैना के पत्र 436 दिनांक 17/04/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा पत्र क्रमांक 436 दिनांक 17/04/2023 अनुसार अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट – 250 मी. से दूर है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत टीकरी, जिला मुरैना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 13 दिनांक 24/01/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	खदान क्षेत्र पठार पर स्थित है ।
	उत्तर दिशा– शेड 40 मीटर
	दक्षिण पश्चिम दिशा– आबादी 256 मीटर, पक्का रोड़ 375 मीटर
	पश्चिम दिशा– कच्चा रोड़ 55 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-21 के सरल क्रमांक-67 पर दर्ज है। (परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार)

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा– शेड 40 मीटर, दक्षिण-पश्चिम दिशा– आबादी 256 मीटर, उत्तर दिशा– शेड 40 मीटर , पक्का रोड़ 375 मीटर पर है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन फोटोग्राफ (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. क्षेत्र में जल रिसाव बढ़ाने तथा स्वाईल इरोजन को रोकने के उद्देश्य से क्षेत्र की जल प्रवाह प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाये ।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

19. Case No 10100/2023 Shri Anupam Soni, Proprietor, M/s A and J Hanumante Associates, Ward No. 03, Plot No. 01, Sakti Nagar, NH12, Mandideep, District-Raisen (MP)-462046, Prior Environment Clearance for proposed "Common Biomedical Waste Treatment Facility for treatment of 100 kg per hour with static klin" at Plot No.-19 & 24, Jambar Bagari Industrial Area, Tehsil & District-Vidisha, (M.P.). Cat. – 7(da) Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.

This is a case of Prior Environment Clearance for Common Biomedical Waste Treatment Facility for treatment of 100 kg per hour with static klin" at Plot No.-19 & 24, Jambar Bagari Industrial Area, Tehsil & District-Vidisha, (M.P.).

प्रकरण आज सेक की 666वीं बैठक दिनांक 03/08/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

20. Case No 10257/2023 Shri AMIT KUMAR SHIVHARE, Partner, M/s NEW BALAJI STONE MILL, 109, GANDHI NAGAR, MAHOBA (U.P.), Prior Environment Clearance for Didwara Stone Mine in an area of 2.00 ha. (48440 cum per year) (Khasra No. 1361/1/2), Village -Didwara, Tehsil-Lavkush Nagar, Distt. Chhatarpur, (MP)

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

परियोजना प्रस्तावक श्री अमित कुमार शिवहरे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri AMIT KUMAR SHIVHARE, Partner, M/s NEW BALAJI STONE MILL, 109, GANDHI NAGAR, MAHOBA (U.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1361/1/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.00 hectares.
स्थल	Village -Didwara, Tehsil-Lavkush Nagar, Distt. Chhatarpur, Madhya Pradesh.
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 2401 दिनांक 30/11/22 के द्वारा स्वीकृत।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-48,440 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-48,440 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 365 दिनांक 13/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 21.310 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-.... श्रेणी के अंतर्गत आता है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 365 दिनांक 13/02/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 365 दिनांक 13/02/23 अनुसार 02 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरप्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत डिडवारा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02/10/11 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान के अंदर कुछ पेड़ हैं।
गूगल इमेज अनुसार	उत्तर दिशा- पक्का रोड 36 मीटर, पक्के आवासीय मकान 24 मीटर, 46

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

वर्तमान स्थिति	मीटर एवं 41 मीटर
	दक्षिण दिशा— पक्के आवासीय मकान 43 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-166 के सरल क्रमांक-20 पर दर्ज है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः डिया की अन्य शर्तों के साथ विगत वर्षों में खनिज का कितना उत्पादन कार्य किया गया उसका वर्षवार विवरण, फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पूर्णतः पालन प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. खदान में पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का कोई पालन परिलक्षित नहीं दिख रहा है, अतः भविष्य में कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 01-02 वर्ष में पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन करेंगे।
3. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन फोटोग्राफ (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में पक्का रोड 36 मीटर, पक्के आवासीय मकान 24 मीटर, 46 मीटर एवं 41 मीटर एवं दक्षिण दिशा में पक्के आवासीय मकान 43 मीटर है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण-पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
8. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

21. Case No 8732/2021 Shri Kanhaiyalal Parmar S/o Shri Bherulal Parmar, Ward No. 4, Kanad Agar, Dist. Agar Malwa, MP - 456441 Prior Environment Clearance for Stone

Quarry in an area of 1.767 ha. (10104 cum per annum) (Khasra No. 142/1), Village - Arniya, Tehsil - Agar, Dist. Agar Malwa (MP).

प्रकरण समिति की पूर्व की 522वीं बैठक दिनांक 27/10/21, 525वीं बैठक दिनांक 10/11/21 एवं 535वीं बैठक दिनांक 16/12/21 को परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार उपस्थित न होने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध कर सिया को प्रेषित किया गया था ।

प्रकरण सिया ने रिलिस्ट कर सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 03/08/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Kanhaiyalal Parmar एवं उनकी ओर से कोई पर्यावरण सलाहकार उपस्थित नहीं हुए । परिवेश के ऑनलाइन फार्म-2 में भी पर्यावरण सलाहकार का नाम नहीं दिया गया है, अतः परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिए गए कि नेबिट एकीडेटेड पर्यावरण सलाहकार को नियुक्त कर पुनः सिया के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन करें ।

22. Case No 9885/2023 Shri Vikram Chouhan, R/o Ishwari Nagar, Gouridham Road, Ward 05, District-Khargone (MP)-451001, Prior Environment Clearance for Manawar Crusher Stone Mine in an area of 2.00 ha. (10,146 Cum per annum) (Khasra No. 22), Village-Manawar, Tehsil-Khargone, District-Khargone (MP)

समिति की 645वीं बैठक दिनांक 15/05/23 में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने प्रकरण अनुशंसा सहित सिया को प्रेषित किया गया था । सिया की 790वीं बैठक दिनांक 31/05/23 को प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति की पूर्व 654वीं बैठक दिनांक 16/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने चर्चा उपरांत मत से सिया को अवगत कराया गया, जिसके संदर्भ में सिया ने पुनः पत्र दिनांक 848 दिनांक 10/7/23 के द्वारा पूर्व में उठाये गये मुद्दों को पर पुनः अभिमत चाहा गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 16/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया है । उपरोक्त सिया की टीप के संबंध में समिति का निम्न अभिमत है :-

समिति द्वारा प्रकरणों के परीक्षण के दौरान विशेष प्रकरणों में गूगल इमेज से अवलोकन तथा संबंधित समस्त संवेदनशील बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया जाता है । अवलोकन करने पर कई स्थलों पर यह पाया जाता है कि स्थल विशेष की खदानों के चारों ओर अन्य खदानें जो संचालित हो रही हैं या हो चुकी हैं उनमें पर्यावरणीय स्वीकृति में समाहित शर्तों क्रमशः फेंसिंग कार्य, गारलेन ड्रेन कार्य, सेटलिंग टैंक निर्माण कार्य एवं पौधारोपण कार्य जो पर्यावरणीय स्वीकृति में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अंग हैं । विशेष रूप से इस तथ्य को भी जानना आवश्यक है कि पूर्व में जो पर्यावरणीय स्वीकृति दी जा रही है उनका कितना पालन क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता तथा खनन कार्य से विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है । इस हेतु समिति द्वारा जो प्रावधान किये जाते हैं, उसकी पुष्टि हो सके । प्रश्न यह है कि समस्त प्रावधान समय पर क्रियान्वय हो, सामान्यतः गूगल इमेज देखने के दौरान परिलक्षित नहीं होते । प्रभावी क्रियान्वयन हेतु

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

प्रत्येक छः माह में प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये, जिसका संबंधित विभाग/एजेंसी से पुष्टि कराया जाना उचित होगा कि इस लेखन का वर्णन की आसपास की खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों हो रहा है, जिसे समिति की कार्यवाही विवरण में रिकार्ड में लिया जाने का मुख्य उद्देश्य सिया के संज्ञान में लाना है साथ ही कलेक्टर के माध्यम से संबंधित विभाग जैसे खनिज विभाग द्वारा इसकी पुष्टि कराया जाना आवश्यक है, जिससे कि मौके की स्थिति का ठीक से आंकलन किया जा सके, क्योंकि कई बार गूगल इमेज से स्थिति स्पष्ट नहीं होती ।

समिति का मुख्य दायित्व प्राप्त प्रकरणों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण/मूल्यांकन करना है तथा प्रकरण विशेष का परीक्षण/मूल्यांकन के दौरान यदि आवश्यक हो तो प्रकरण विशेष हेतु समिति के सदस्य भी यदि आवश्यक समझें तो मौके पर जाकर अध्ययन कर सकते हैं ।

आसपास के क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन की पुष्टि कलेक्टर या अन्य एजेंसी से कराने संबंधी निर्णय सिया स्तर से लिया जा सकता है ।

सिया की बैठक क्रमांक 794 दिनांक 28/06/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान के पूर्व खनन संकियाएं परिलक्षित हैं के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण पुनः सेक को अग्रेषित किया जाये ।

प्रकरण को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक की ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए, जिन्होंने खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 784 दिनांक 13/07/23 प्रस्तुत किया और बताया कि ग्राम मनावर तहसील खरगौन के शासकीय भूमि खण्ड क्रमांक-22 पर पूर्व में मेसर्स एम.एस. स्टोन केशर के पक्ष में पत्थर गिट्टी केशर का उत्खनन पट्टा स्वीकृत था । पट्टेदार द्वारा उत्खनन क्षेत्र में की जा रही है अनियमितताओं के कारण मेसर्स एम.एस. स्टोन केशर के पक्ष में स्वीकृत उत्खननपट्टा पूर्व में निरस्त कर दिया गया है और परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है ।

प्रकरण में समिति ने चर्चा उपरांत समिति ने 654वीं बैठक दिनांक 16/06/23 को प्रकरण में दिए गए अभिमत को यथावत रखते हुए सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

23. Case No 9945/2023 M/s. Govind Coal Private Limited, Director, Shri Mukesh Khurana, R/o 217/1, Dubey Colony, Rafi Ahmad Kidwai Ward 15, Tehsil & District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Gubradhari Dolomite Mine in an area of 4.84 ha. (49995 Tonne per annum) (Khasra No. 521), Village-Gubradhari, Tehsil-Murwara, District-Katni (MP)

प्रकरण समिति की पूर्व की 653वीं बैठक दिनांक 15/06/23 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित किया गया था ।

सिया ने पत्र क्रमांक 832 दिनांक 10/07/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 4.90 हे. की मार्बल की खदान भी स्वीकृत / संचालित है, जिसे नॉन होमोजिनियस मानते हुए सेक द्वारा प्रकरण में बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित की गई है । डोलोमाइट एवं मार्बल की

रसायनिक संरचना जो लगभग एक ही होती है तथा उत्खनित खनिज के अधिकांश का उपयोग भी एक ही प्रकार का है, कटनी जिले की वाल पुट्टी इकाईयों का कच्चा माल है। प्रकरण को नॉन होमोजिनियस की बी-2 श्रेणी में रखने का समिति का क्या आधार है, स्पष्ट मत हेतु समिति को प्रेषित किया गया है।

प्रकरण को समिति के समक्ष दिनांक 03/08/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश खुराना और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना के पर्यावरण सलाहकार स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। संगमरमर विकास और संरक्षण नियम, 2002 की धारा 3(ज) के बिन्दु में संगमरमर की परिभाषा दी गई है। जिसमें डोलोमाइट शैल का भी उल्लेख किया गया है जिससे यह होमोजिनियस प्रकृति के है परन्तु परियोजना प्रस्तावक का कहना है, कि ये नॉन होमोजिनियस प्रकृति के है। अतः खदान में मार्बल एवं डोलोमाइट के होमोजिनियस संबंध में तथ्य चाहे गये हैं, अतः इस संबंध में कार्यालय, संचालनालय (DGM), भौमिकी एवं खनिकर्म, भोपाल से होमोजिनियस/ नॉन होमोजिनियस प्रकृति के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाना उचित होगा।

24. Case No 9957/2023 Shri Piyush Chandel, Owner, R/o Bishthan Road, District-Khargone (MP)-464001, Prior Environment Clearance for Mominpura Crusher Stone Deposit in an area of 1.00 ha. (Stone – 5000 Cum per annum and M-Sand – 3550 Cum per annum) (Khasra No. 05, 07), Village- Mominpura, Tehsil-Khargone, District-Khargone (MP)

प्रकरण समिति की पूर्व की 653वीं बैठक दिनांक 15/06/23 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित किया गया था।

सिया ने पत्र क्रमांक 834 दिनांक 10/07/23 के द्वारा समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान 1.315 हे. की स्वीकृत/संचालित होना बताया गया है, लेकिन अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें भी परिलक्षित हैं, जिससे उक्त प्रकरण में कलस्टर (5 हे. क्षेत्र से अधिक) बी-1 की श्रेणी में प्रतीत होता है।

प्रकरण को समिति के समक्ष दिनांक 03/08/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पीयूष चंदेल और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंट्स, नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए।

परियोजना के सलाहकार ने कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल पत्र क्रमांक 770 दिनांक 11/07/2023 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें एक अन्य खदान जिसका क्षेत्रफल 1.315 हे. है का कुल क्षेत्रफल 4.30 हे. होता है जो कि 5.00 हे. से कम है, अतः इसको बी-2 श्रेणी में मान्य किया जाना उचित होगा। तदनुसार समिति द्वारा पूर्व में प्रेषित अनुशंसा के अनुरूप पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

अनुशंसा :- पूर्व की 653वीं बैठक दिनांक 15/06/23 में लिए गए निर्णय अनुसार पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

25. Case No 10184/2023 Shri Mahesh Sharma, Suprintendent Engineer, Indore Municipal Corporation (PMAY), 107, 109, First Floor, Palika Plaza, District-Indore (MP)-452007, Prior Environment Clearance for Construction of Residential Building Project under PMAY "Nilgiri Parisar" in an area of 28.206 Ha. (61046.96 Sq.M.) at (Khasra No. 220) Village-Sanawadia, Tehsil-Indore, District-Indore, (MP).

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Residential Building Project under PMAY "Nilgiri Parisar" in an area of 28.206 Ha. (61046.96 SqM.) at (Khasra No. 220) Village-Sanawadia, Tehsil-Indore, District-Indore, (MP). Hence requires EC from SEIAA for this activity. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR- Violation to carry out EIA and prepare EMP for the project.

The case presented on 03/08/2023 by the PP's Shri Ankush Chourasia, Authorized Signatory and their Environmental consultant Shri Shubham Dubey from M/s. Envisolve LLP, Indore, MP. During presentation it was observed by the committee that this is a violation project wherein construction of around 80% percent of residential blocks has been completed without prior EC. As per Google image based on coordinates provided by PP it was observed that the proposed township project is is being established at abandoned mined out area. The area is uneven and pits are seen very distictly. PP stated that conventional raw materials are being used in building construction projects. The Ralamanadal sanctuary is >10.0 KM from the site. Committee after presentation and deliberation PP was asked to submit following information for further consideration of the project.

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/419741/2023.
2.	Project Name	Shri Mahesh Sharma, Suprintendent Engineer, Indore Municipal Corporation (PMAY), 107, 109, First Floor, Palika Plaza, District-Indore (MP)-452007, Prior Environment Clearance for Construction of Residential Building Project under PMAY "Nilgiri Parisar" in an area of 28.206 Ha. (61,046.96 Sq.M.) at (Khasra No. 220) Village-Sanawadia, Tehsil-Indore, District-Indore, (MP) [419741] <u>Cat. 8(a)Building Construction Projects.</u>
3.	Total Plot Area	Total Built up Area – 61046.96 Sqmt.,
4.	Description of Project	Residential Building Project Under Pradhan Mantri Awas Yojana "PMAY"
5.	Area details (As per Form-1)	Total Plot Area : 282060 m2, Area under deduction - 240408m2 Net Plot Area – 41652 m2, Total Built up Area – 61046.96 m2, Greenbelt area – 7890 m2 Total Parking – 565 Nos. Open Parking- 274 Nos Stilt Parking- 291 Nos. Detailed land Area Breakup is given as Annexure-I
6.	Declaration (Violation)	Yes,
7.	Project Cost	12512 Lakh.

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

8.	Proposed ToR (Vio.)	Submitted.
9.	Lat./Log.	Latitude - 22°39'52.45"N Longitude - 75°57'4.14"E
10.	Land details	Land Allotment Order 1009 date 24/11/2017.
11.	Building Permission	Letter No. 1012/PMAY/ 2019-20 dated 16/08/2019.
12.	T&CP Permission	Letter No. 7576 dt. 29/08/2018.
13.	Water NOC	Letter No. 9131 dated 30/07/2018 (0.8 MLD).
14.	Extr treated water NoC	PP Apply Letter No. dated 24/06/2023.
15.	MSW NOC	Letter No. 249/SBM dated 01/08/2018.
16.	Rainwater harvesting details	Detail not provided
17.	CTE details	Not given by PP
18.	EMP/ Env. Con	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 09/08/2024.
19.	Risc Assesment	
20.	Green belt Area (sq. m)	Not mentioned
21.	Remediation cost (If any)	NA (Violation case for ToR Apply).
22.	Additional drtails	Project Started in the Year 2014. (Old Case No. 5806/2015)

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Further, this being a violation case for which Ministry of Environment Forests & Climate Change vide its OM dated 28/01/2022, has reinstated the Standard Operating Process (SOP) dated 15/07/2021 as per the order dated 09/12/2021 of Hon'ble Supreme Court of India to deal with the violation cases. Penalty provisions as per para 12 (i) of the notification will be applicable for which credible proof shall be submitted by PP.

Hence committee recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Submit actual construction area/figures with verifiable proof and drone video/photography and same shall be overlayed over the T&CP approval plan/conceptual plan.
2. Furnish details of Carbon Foot Print & quantification from different sources as DG sets and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
3. C& D waste quantification and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 अगस्त 2023

4. All shall also be reflected in the EIA report that how the water requirement was fulfilled during this construction
5. Status report of construction took place so far, possession given to how many families etc.
6. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area including details such as area provided for parking, ETP, STP, etc shall also be discussed in the EIA report with all components. The STP shall be provided to comply with the latest CPHEE norms for treated sewage.
7. Provision of additional exit gate in the proposed project, at the time of emergency.
8. Project description, its importance and the benefits.
9. Under energy conservation suitable plan for use of Solar Power.
10. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
11. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
12. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection) Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
13. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
14. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
15. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
16. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
17. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
18. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
19. Assessment of ecological damage with respect to flora & fauna, air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
20. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
21. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
22. Cost of project with documentatry evidences wrt impose penalty as per point no 12 of SOP of MoEF&CC dated 07/07/21. Proof of expenditure done till date against project cost shall be submitted with CA certificate considering all credible documents such as ITR, valuation etc taken in to consideration for assessment and same shall be appended with the EIA report.
23. The area is located in close vicinity of a hill and hence the slope management with provisions for the sensitivity likely to occure due to any expansion in future (if any)

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

24. Proof of initiation credible action under E P Act, 1986.
25. Provision of solar lighting to the extent of 30% of total electric requirement.
26. Maximize proportion of green area.
27. STP sewage water BOD shall not be less than 10%.
28. Provision of Roof top greening.
29. समिति की सदस्या डॉ० श्रीमति रूबिना चौधरी को परियोजना स्थल का भ्रमण कराकर उनके सुझावों को ई. आई.ए. रिपोर्ट में समाहित करें।
30. जल प्रबंधन एवं भूमि क्षरण के लिये अहिल्या देवी विश्वविद्यालय/ होल्कर कॉलेज के विषय विशेषज्ञों को परियोजना स्थल भ्रमण कराकर उनकी रिपोर्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट में समाहित करें।
31. परियोजना स्थल की जो भूमि अतिशेष है वहां वर्षा जल संग्रहण संरचना की स्थापना का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट में समाहित करें।
32. रहवासियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये पार्क/खेल का मैदान का भी समुचित ध्यान रखा जायें।
33. पार्किंग की गणना रहवासियों की संख्या के हिसाब से निर्धारित करें एवं 06 इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट में समाहित करें।
34. भवन के अंदर प्रकाश एवं हवा का समुचित अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर किया जाये।
35. परियोजना स्थल सिसमिक जोन III के अंतर्गत आता है अतः निर्माण कार्य भूकम्परोधी बिल्डिंग मानकों के साथ किया जायें यह प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट में समाहित करें।
36. परियोजना स्थल पहाड़ी की तलहटी में स्थित है एवं यहां पर आवास निर्माण प्रस्तावित है। अतः भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की संभावित दुर्घटना को रोकने के लिये पहाड़ी की ओर स्लोप मैनेजमेंट हेतु रिटेनिंग वॉल/जियो नेट का प्रस्ताव ई. आई.ए. रिपोर्ट में समाहित करें।

Recommendation: The committee recommended for the TOR (violation) subjected to the above conditions.

26. Case No 10253/2023 Shri Tamal Pal, Senior Vice President & Authorized Signatory, Birla Corporation Limited (Cement Division), Sector-3, Madhav Nagar, Chanderia, District-Chittorgarh, (RJ)-312021, Prior Environment Clearance for Proposed Clinker Grinding Unit (Mundi) for Ordinary Portland Cement (OPC) / Portland Pozzolana Cement (PPC) / Portland Slag Cement (PSC) /Composite Cement / Sulphate Resistant Cement (SRC) to the tune of 1.2 Million TPA in 2 Phases (0.6Million TPA X 2)” in an area of 7.22 ha. at (Khasra No. 59/1, 59/2, 59/3, 59/6) Village- Dongaliya, Tehsil- Punasa, District- Khandwa (East Nimar), (MP)- Category 3(b) Cement Project.

This is a case prior Environment Clearance for Proposed Clinker Grinding Unit (Mundi) for production of Ordinary Portland Cement (OPC) / Portland Pozzolana Cement (PPC) / Portland Slag Cement (PSC) /Composite Cement / Sulphate Resistant Cement (SRC) to the tune of 1.2 Million TPA in 2 Phases (0.6 Million TPA X 2)” at Village- Dongaliya, Tehsil- Punasa, District- Khandwa (East Nimar), Madhya Pradesh. The proposed green field project of Cement Grinding Unit is categorized under 3(b){Cement

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 अगस्त 2023

plants(All Stand-alone Clinker grinding units)} of Gazette Notification dated 14th September, 2006 and its subsequent amendment. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP for the project.

The case presented on 03/08/2023 by the PP's Shri Vinod Paliwal Authorized Signatory and their Environmental consultant Smt. Alka Sharma from M/s. Enkay Enviro Services Pvt. Ltd. with a request for issuing of TOR to carryout EIA studies with site specific details.

The Executive Summery of the project:

Project Name: Birla Corporation Limited "Proposed Stand Alone Grinding Unit for Ordinary Portland Cement (OPC) / Portland Pozzolana Cement (PPC) / Portland Slag Cement (PSC) /Composite Cement / Sulphate Resistant Cement (SRC) to the tune of 1.2 Million TPA in 2 Phases (0.6Million TPA X 2)" at Village- Dongaliya, Tehsil- Punasa, District- Khandwa (East Nimar), Madhya Pradesh."

Birla Corporation Limited has made an application online vide proposal no. **SIA/MP/IND1/406666/2022** dated **28.12.2022** along with the application in prescribed format (Form-I), copy of pre-feasibility report and proposed ToRs for undertaking detailed EIA study as per the EIA Notification, 2006 for the project mentioned above. The proposed project activity is listed at S. No. **3(b){Cement plants(All Stand-alone grinding units)}** of Gazette Notification dated 14th September, 2006 and further clarified by MoEF&CC in its subsequent amendment on dated 24.12.2013 stated that **All stand-alone grinding units listed in the Schedule as Category 'B' where transportation of raw material is not primarily' through Railways.**

The project of **Birla Corporation Limited** is located Village- Dongaliya, Tehsil- Punasa, District- Khandwa (East Nimar), Madhya Pradesh for "Proposed stand-alone Grinding Unit for Ordinary Portland Cement (OPC) / Portland Pozzolana Cement (PPC) / Portland Slag Cement (PSC) /Composite Cement / Sulphate Resistant Cement (SRC) to the tune of 1.2 Million TPA in 2 Phases (0.6Million TPA X 2)" Environmental site settings

S.No.	Particulars	Details	Remarks
i.	Total land	Total plot Area is 72,200Sq.m.(7.22Ha)	Proposed project site is already converted for industrial use vide letter No. 42/ A-2/2014-2015 dated 28.10.2015

S. No.	Particulars	Area	
		Sq. M	Percentage (%)
1.	Plant Area, Office Area (All covered area)	19,000	26.32
2.	Paved Area (Road, Corridor, Parking and drainage)	19,500	27.01
3.	Green Area/ Plantation	24200	33.51

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

4.	Open Area	9500	13.16										
Total		72,200	100										
i i .	Land acquisition details as per MoEF&CC O.M. dated 7/10/2014	Not Applicable as land is already converted for industrial use. Proposed project site is already converted for industrial use vide letter No. 42/ A-2/2014-2015dated 28.10.2015		--									
i i i .	Existence of habitation & involvement of R&R, if any.	Project site: RIICO Industrial Area, Khushkhera <table><tr><td>Habitatio n</td><td>Distance(km)</td><td>Directio n</td></tr><tr><td>Dongaliya</td><td>0.14</td><td>ESE</td></tr><tr><td>Mundi</td><td>3.82</td><td>SW</td></tr></table> Status of R&R : Not applicable		Habitatio n	Distance(km)	Directio n	Dongaliya	0.14	ESE	Mundi	3.82	SW	Status of R&R: Not applicable as land is already converted for industrial use. There is no habitation in the Project site, therefore rehabilitation & resettlement plan is not required/ applicable.
Habitatio n	Distance(km)	Directio n											
Dongaliya	0.14	ESE											
Mundi	3.82	SW											
v .	Elevation of the project site	Highest – 283 MSL; Lowest –278 MSL.		--									
v i .	Involvement of Forest land if any.	The proposed project does not involved/fall in any forest land. Status of stage I Forest Clearance: Not Applicable Area of the forest land involve: Not Applicable		The letter regarding no forest land is involved in proposed project site was obtained from DFO, Khandwa vide letter no. Ma.chi/2023/799 dated 01.03.2023.									
v i i i	Existence of ESZ/ ESA/ national park/wildlife sanctuary/biosphere	Study area: Name of the ESZ/ESA: None Status of Notification: Not applicable Distance of project from ESZ/ESA:		The letter regarding NoESZ/ESA/natio nal park/wildlife sanctuary/biosph ererreserve/tiger reserve/ elephant									

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

. reserve/tiger reserve/elephant reserve etc. if any within thestudy area	Authenticated map of ESZ projecting				reserve lies in 10 km radius of the proposed project site was obtained from DFO, Khandwa vide letter no. Ma.chi/2023/799 dated 01.03.2023.
	distance of ESZ from project site: Not applicable				
	Status of NBWL approval: Not applicable				
	List of Reserved and protected forests: Are given in the following table.				
	S. No.	Particulars	Distance (Km)	Direction	
			(From Project Boundary)		
	1.	Chirakhan RF	3.55 Km	WNW	
	2.	Karond RF	8.34 Km	W	
3.	Andhali RF	5.61 Km	S		
4.	Singaji RF	9.66 Km	SSE		
5.	Punasa RF	9.58 Km	NNW		
6.	PF Near village Gulgaonmal	6.41 Km	NNW		

2. The unit configuration and capacity of existing project is given as below:

S. No.	Particulars	Product	Proposed Capacity (MILLION TPA)	Total Capacity (MILLION TPA)
1.	Stand-alone Grinding Unit	Cement (Ordinary Portland Cement (OPC) /Portland Pozzolana Cement (PPC) /Portland Slag Cement (PSC) /Composite Cement /Sulphate Resistant Cement (SRC) -100%)	1.2 (0.6MILLION TPA X 2Phase)	1.2 (0.6MILLION TPA X 2 Phase)

7. The details of the raw material requirement for the proposed project along with its source and mode of transportation is given as below:

Details of Raw Material

S. No.	Product	Proposed Quantity (MILLION TPA)	Source	Distance & Mode of Transportation
1.	Clinker			
A	Ordinary Portland Cement (OPC) /Portland Pozzolana Cement (PPC) /Portland Slag Cement (PSC) /Composite Cement /Sulphate Resistant Cement (SRC)	4,00,000 TPA	Satna/Chandaria/Maihar Plant	By Rail/Road 700Km from Stana, 460Km from Chandaria, 650Km from Maihar Plant
2.	Gypsum			
A	Ordinary Portland Cement (OPC) /Portland Pozzolana Cement (PPC) /Portland Slag Cement (PSC) /Composite Cement /Sulphate Resistant	2,60,000 TPA	Thailand, Oman & UAE	Through Port Beyond 1000m

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 अगस्त 2023

	Cement (SRC)			
3.	Fly ash			
A	Ordinary Portland Cement (OPC) /Portland Pozzolana Cement (PPC) /Portland Slag Cement (PSC) /Composite Cement /Sulphate Resistant Cement (SRC)	8,80,000 TPA	MP Genco, Shree Singaji TPP, PRGCL Bara & NTPC Meja Thermal Power Plant	By Road within 300km

7. Existing one time Water requirement is 370m³/day, out of which 220 m³/day of fresh water requirement &. Fresh water will be obtained from the ground water with GGWA permission for the application same was submitted to CGWA vide application no. 21-4/1665/MP/IND/2022 dated 12.12.2022 and the remaining 150 m³ /day is being met from the Recycling (Recycled COC to Cooling Tower-150KLD). CGWA NOC has been obtained vide NOC No. CGWA/NOC/IND/ORIG/2023/18290 dated 20.04.2023 which is valid up to 18.04.2026
8. Existing power requirement of 8.0MW will be obtained from Mundi Grid Station-(33Kv Supply Line)
9. The capital cost of the project is Rs 418.69 Crores and the capital cost for environmental protection measures is proposed as Rs. 166.3 Lacs; Recurring Cost- Rs. 17 Lacs . The employment generation from the proposed project will be 140 Nos (Construction phase -40 No. & Operation Phase -100 Nos.).
10. Summary of violation under EIA, 2006/court case/show cause/direction if any, related to the Project under consideration shall be furnished.

No court case/show cause/direction is against the Project.

11. Name of the EIA consultant: Enkay Enviro Services Pvt. Ltd. [S.No. 50 List of ACOs with their Certificate / Extension Letter no **NABET/EIA/2023/RA 0183**; Valid up to 12.12.2023. Rev. 18, January 05, 2022)

12. Proposed Terms of Reference (***Baseline data collection period: March - April - May 2022***)

Attributes& Parameters	Sampling		Measurement Method	Protocol
	No. of stations	Frequency		
A. Air Environment				
Meteorological Wind Speed Wind Direction Max. Temperature Min. Temperature Relative Humidity Rain fall Solar radiation Cloud cover	1-site area in the project impact area- site area	One hourly continuous	Mechanical/ Automatic Weather stations Max/ Min Thermometer Hygrometer Rain gauge As per IMD specifications	IS 5182 Part1-20 Site specific primary data is essential Secondary data from IMD
Pollutants Pollutants PM ⁽¹⁰⁾ PM ^(2.5)	8 locations Including Site	24 hourly twice a week	As per CPCB Guidelines Gravimetric (High-Volume with Cyclone)	IS 11255(Part 1):1985
SO ₂			Improved West &Gaeke	IS 5182(Part 2):2001
NO _x			Modified Jacob Hochheiser	IS 5182(Part 6):1975
CO		8 hourly twice a week	NDIR Method	IS 5182(Part 10):1999

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

B. Noise				
Hourly equivalent noise levels	8 locations including Project site.	Frequency Once in season	Integrated Sound Level Measurement Instrument, DT - 805 issued by Mextech	IS: 4954-1968 as adopted by CPCB. CPCB/ OSHA CPCB/ IS:5954-1968
Hourly equivalent noise levels	--	Once		
Hourly equivalent noise levels	Site	Once in season		
C. Water				
Parameters for water quality	8 locations Including Site	Once in season		
Colour (in hazen units)			Visual Method	IS : 3025 (P-4) 1983
Odour			Manual	IS : 3025 (P-5) 1983
Temperature °C			Thermameter	IS 3025(Part 9):1984
pH			pH meter	IS : 3025 (P-11)1983
Turbidity (NTU)			Nephelometer	IS 3025(Part 10):1984
Total Dissolved Solids (mg/l)			Gravimetric	IS : 3025 (P-16) 1984
Biochemical Oxygen Demand (mg/l)			DO consumption in 3 days at 27°C	IS : 3025 (P-44) 1993
Carbonate as CaCO3 (mg CaCO3/l)			Titrimetric	IS 3025(Part 51):2001
Coliform (No./100 ml)			MPN	IS : 5401
Fecal Coliform			MPN	IS : 5401
Sodium as Na(mg/l)			Flame photometry	IS 3025(Part 45):1993
Potassium as K (mg/l)			Flame photometry	IS 3025(Part 45):1993
Chloride as Cl (mg/l)			Argentometriv titration	IS 15210(Part 0/Sec 0):2002/ ISO 8762
Nitrite (mg N/L)			Colorometry	
Chemical Oxygen Demand (mg/l)			Potassium dichromate method	
Magnesium (mg CaCO3/l)			EDTA Titrimetric	IS 3025(Part 46):1994
Sulphate (mg/l)	Turbidimetry	IS 3025(Part 24):1986		
D. Land Environment				
Soil Texture pH Electrical Conductivity Bulk density Porosity Total organic carbon	8 sample from project sit as well as nearby agriculture land.(soil samples has been collected as per BIS specifications)	Season wise	Collected and analyzed as per soil analysis reference book, M.I. Jackson and soil analysis reference book by C.A. Black	Once in a year.

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

N, P, K, Zinc, Cd Chloride, Alkali metal, permeability, Water holding capacity, Cu, Iron as Fe, Moisture content, Boron as B																
Land use/ Landscape Location code Total project area Topography Drainage (Natural) Cultivated, forest, plantations, water bodies, roads and settlements		--	Global Positioning System Toposheet (1:50,000) Satellite Imagery* (1:50,000)													
E. Biological Environment																
<table border="1"><tr><td>Plants</td></tr><tr><td>Butterflies</td></tr><tr><td>Amphibians</td></tr><tr><td>Reptiles</td></tr><tr><td>Birds</td></tr><tr><td>Mammals</td></tr></table>	Plants	Butterflies	Amphibians	Reptiles	Birds	Mammals	--	Three- five days in each months	<table border="1"><tr><td>Quadrat sampling/ enumeration/ survey methods</td></tr><tr><td>Transect method/ Visual encounter survey</td></tr><tr><td>Visual encounter survey/ Opportunistic survey</td></tr><tr><td>Visual encounter survey/ Opportunistic survey</td></tr><tr><td>Point count/ Opportunistic survey</td></tr><tr><td>Tracks / signs and visual encounter survey</td></tr></table>	Quadrat sampling/ enumeration/ survey methods	Transect method/ Visual encounter survey	Visual encounter survey/ Opportunistic survey	Visual encounter survey/ Opportunistic survey	Point count/ Opportunistic survey	Tracks / signs and visual encounter survey	Preliminary assessment point quarter plot-less method for terrestrial vegetation survey
Plants																
Butterflies																
Amphibians																
Reptiles																
Birds																
Mammals																
Quadrat sampling/ enumeration/ survey methods																
Transect method/ Visual encounter survey																
Visual encounter survey/ Opportunistic survey																
Visual encounter survey/ Opportunistic survey																
Point count/ Opportunistic survey																
Tracks / signs and visual encounter survey																
Fauna, Avian fauna, Rare and endangered species Sanctuaries/ National park/ Biosphere reserve/ Migratory routes.	--	--	--	Secondary data to be collected from Government offices, NGO's published literature.												
F. Socio-Economic Environment																
Demographic structure infrastructure resource base Economic resource base health status:Occupation	Socio- Economic observation will be based on random sampling method with access to the nearest habitation to the extent	One site visit and prior to the final submission of the project.	Primary data collection through questionnaire and interviews	Secondary data from census records, statistical hand-books, toposheets, health records and relevant official records available in												

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 अगस्त 2023

pattern cultural and aesthetic attributes education	possible.			public domain.
---	-----------	--	--	----------------

After deliberations, the Committee recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's as annexed as annexure "D":-

1. Furnish details of Carbon Foot Print & quantification from different sources as DG sets, slag transportation and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
2. Existing PM 2.5 & PM 10 level and proposed latest technology for control pollution level and impact on habitation.
3. Proposed solar light provision of 30% in the EIA report.
4. Khaikhali river is in vicinity 128 meters in the south west direction and hence its protection / surface management plan shall be discussed in EIA report.
5. Ambient Air Quality Monitoring Stations should be located in all the villages located in 01 kms radius of the project site and incremental GLC should be predicted in all such villages.
6. Concerned Regional Officer, MP Pollution Control Board must be informed about the monitoring locations and monitoring should be carried out under intimation to him.
7. In EIA study the mode of transportation, storage of fly ash, all raw materials and products should be discussed along with their impacts.
8. Protection Plan for surface run off should be discussed in EIA report.
9. Detailed evacuation plan with transport route, required infrastructure and man-power is to be discussed in the EIA report.
10. If on the evacuation route there are human settlements justify how they will be protected or suggest alternate evacuation route.
11. Availability and procurement mechanism with mode of transport of different raw materials.
12. Transportation plan & traffic management plan should be discussed in the EIA report. Detail study shall be conducted to have railway transport facility to reduce the road transport.
13. Suitable proposal for the use of Solar Power to reduce the around 30% domestic electric consumption.
14. Inventory of all sensitive receptors in 2 Km & 5 Km around the mine.
15. Hydro geological study should be carried out if ground water intersection is proposed with suitable proposal of the Rain Water Harvesting mechanism.
16. Top soil management plan should be addressed in EIA report.
17. Input data of modeling should be addressed in EIA along with this all back up calculation.
18. Onsite pictures of monitoring and survey along with date and time on photographs should be attached with the EIA report.
19. Inventory of all existing trees and if any tree is to be uprooted, then it should be clearly addressed in EIA.
20. Ground water table data should be compared with data of Central Ground Water Board authorities nearest sampling point.
21. Water quality of all the villages within 10 k.m radius should be studied and result should be incorporated in final EIA report.
22. The site is in vicinity to a hill hence, PP shall submit proposal for surface run-off management.

Recommendation: The committee recommended for the TOR subjected to the above conditions.

27. Case No 10101/2023 Dr. Pranjal Patel, Director, M/s Restore Health Medicare Private Limited, 26, A&B, Block-E, Panki Kanpur Nagar, District-Kanpur Nagar (UP)-208020, Prior Environment Clearance for proposed "Common Biomedical Waste Treatment Facility for treatment of 250 kg per hour with static klin" at Plot No.-3, C-Sector, Jambar Bagari, District-Vidisha, (M.P.)

This is a case of Prior Environment Clearance for Common Bio-Medical Waste Treatment Facility at Plot no 44 and, Plot No. 3 of Sector- C, Jambar Bagari, District-Vidisha, (M.P.).

The proposed project is for setting up of common bio-medical waste treatment facility (CBWTF) by Restorehealth Medicare Private Limited. The project falls under Category “B” Projects of activity 7(da) as per EIA Notification dated 14th September, 2006 and its subsequent amendments under Bio-Medical Waste Treatment Facilities. The online application received through SEIAA to SEAC for appraisal and necessary recommendations.

The case was presented by Environment Consultant Shri Sanjay Singh, Functional Expert, Dr Shri Hari Om Sharan Dwevedi (Online), Green Enviro Engineers Pvt. Ltd. Kanpur (U.P.) and PP Shri Shailendra Bajpai with Dr Pranjal Patel, Director, on 03/08/23 wherein PP stated that Common Bio Medical Waste Treatment Facility is proposed at Plot no 44 and, Plot No. 3 of Sector- C, in Jambar Bagari, District Vidisha (Madhya Pradesh) by Restorehealth Medicare Private Limited. The following points were discussed:

- This facility is proposed to be established at two plots in the same industrial area having area of 1395.37 SqM and 4193.37 SqM respectively.
- The proposed facilities are as follows:
 - Incinerators 1 +1 No. of total capacity 250 kg/hr (Dry)
 - Autoclave 1 No. of capacity 1000 Batch/Hour
 - Shredder 1 No. of capacity 100 kg/hr
 - ETP Capacity – 10 KLD (MBBR based)
- The incinerator and all machineries are proposed to be establishing at one plot and administrative building with vehicle parking at another plot in the same industrial area.
- At present, there are around 1608 beds having around 284 kgper day BMW generation potential which may not be considered economically feasible for independent facility.
- At present, the BMW generated from the hospitals of the Vididsha Distt are attached to the facility at Sehore.
- As per the “Location Criteria for Development of a CBWTF” mentioned in 9.0 (a) of the guidelines issued by the CPCB:

(a) Preferably, a CBWTF shall be setup on a plot size of not less than one acre in all the areas. However, a CBWTF can be developed in adjacent plots but can not be set up in two or more different plots located in different areas. Separate plots can be permitted only for vehicle parking if located in the close vicinity of the proposed CBWTFs or existing CBWTF.

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

As described above, the proposed land is available in two pieces which are not adjacent and hence, may not be considered suitable looking to the nature of the activities.

Looking to the above conditions, the committee is of the opinion that:

The Project Proponent shall try to get additional plot adjoining the plot earmarked for establishment of the plant and machinery. The PP may request to the Industry Department to have a letter accordingly.

Recommendation: The committee not recommended for the TOR.

28. Case No 10104/2023 Shri Rajneesh Gaur, Executive Joint Director, M/s Jaiprakash Power Ventures Limited R/o Village-Majhauri, Tehsil-Deosar, District-Singrauli, (MP)-486886, Prior Environment Clearance for proposed JPVL Coal Washery Plant in an area of 5.00 ha. (1 MTPA), Village-Majhauri, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (M.P.).

This is case of Prior Environment Clearance for the Proposed JPVL Coal Washery Plant of capacity - 1 MTPA in project area of 5.0 Ha in Village - Majhauri, Tehsil - Deosar, District – Singrauli, M.P.

The case was presented by the PP Shri Rajneesh Gaur Executive Joint President and their Environmental consultant Shri Anshul Yadav from Vardan Environet, Gurugram (Haryana).

SN	Projects Details		Remarks
1.	Online Proposal No	SIA/MP/CMIN/423396/2023.	
2.	Category	Cat. - 2(a) Coal washeries Project.	
3.	Proposal	New (Private Land).	
4.	Project Cost	3400 Lakh.	
5.	Location of Project : <i>Prior Environment Clearance for Proposed JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMITED (JPVL) Coal Washery Plant, Lease Area – 5.00 Ha., at Village - Majhauri, Tehsil - Deosar, District - Singrauli, (M.P.),</i>		
6.	Undertaking	No activity/ construction / has since been taken up.	
7.	Total Water Requirement	275 m3/day	
8.	Gram Sabha /Gram Panchayat Tharav Prastav - Not Submitted.		
9.	Production Quantity	• Coal Washery Plant- 1.0 MTPA. • Clean Coal – 0.325 MTPA.	

After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with following additional conditions and as per Annexure-D:

- Furnish details of Carbon Foot Print & quantification from different sources as DG sets and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
- Management Plan for coal reject.
- Detail tree inventory of the area wrt to girth, height, species & their respective number and management plan shall be submitted with the EIA report.

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

- iv) The proposed coal washing technology shall be discussed in detail in the EIA report. The washing technology shall be so chosen to conform to 'Zero Liquid Discharge'.
- v) Clarification from forest department that allocated area does not fall under elephant movement area.
- vi) Impact Assessment Study of the area shall be carried over by project proponent considering Ecological service system and loss to be assessed regarding flora and fauna.
- vii) For proper baseline air quality assessment, Wind rose pattern in the area should be reviewed and accordingly location of AAMSQ shall be planned by the collection of air quality data by adequate monitoring stations in the downwind areas. Monitoring location for collecting baseline data should cover overall the 10 km buffer zone i.e. dispersed in 10 km buffer area.
- viii) Project proponent to prepare Environmental Cost Benefit Analysis for the project in EIA/EMP Report.
- ix) Permission for ground water withdrawal shall be obtained from Central Ground Water Authority (CGWA).
- x) Impact of proposed project/activity on hydrological regime of the area shall be assessed and report be submitted. Hydrological studies as per GEC 2015 guidelines to be prepared and submitted.
- xi) Heavy metals including other parameters in surface water quality shall be analyzed and provided in EIA Report.
- xii) The parameters Arsenic, Lead and Silica shall also be analyzed in ambient air quality.
- xiii) Details of mode of transportation including laying conveyor belt for transportation of coal from nearest mine to the washery and a plan for reduction of number of trucks for transportation of coal.
- xiv) PP shall work on the layout and sitting of washery so that coal storage area, crushing units and rejects storage area shall not be near the villages or cause any pollution to agricultural land.

Recommendation: The committee recommended for the TOR subjected to the above conditions.

29. Case No 10079/2023 Shri Som Garg, Owner, R/o, 213, Clurk Colony, District-Indore (MP)-452011, Prior Environment Clearance for M/s Som Project Pvt. Ltd. in an area of 4.00 ha. Stone Quarry (66229 cum per year) (Khasra No. 131/1/1/2), Village-Depalpur, Tehsil- Depalpur, District-Indore (MP)

प्रकरण आज सेक की 665वीं बैठक दिनांक 03/08/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

30. Case No 10260/2023 Shri Vikas Sharma, Director, M/s Garima Natural Resources Private Limited, R/o Shop No. 150, 106, 2nd Floor, Shri Ram Heritage, Netaji Chowk,

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

Katora Talab, District-Raipur (MP)-492001, Prior Environment Clearance for Chakariya Gold Block in an area of 23.57 ha. (Gold-12553, Mine Waste-119250 TPA) (Khasra No. 848/2, 848/3, 1111, 1118, 358, 847, 848/1, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 853, 1110, 1111, 1112/1, 1112/2, 1112/3, 1113, 1114, 1115, 1116/1, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1119, 1120, 1121, 1122/1, 1122/2, 1122/3, 1122/4, 1125, 1126/1/1, 1126/1/2, 1126/2, 1126/3, 1123, 1127/1/1, 1127/1/2, 1127/2, 1127/3, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1144/4, 1128, 1124), Village-Chakariyadand, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP)

परियोजना प्रस्तावक Shri Vikas Sharma, Director, M/s Garima Natural Resources Private Limited, Raipur (CG) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) द्वारा दिनांक 03/08/2023 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / क0 / संस्थान का नाम व पता	Shri Vikas Sharma, Director, M/s Garima Natural Resources Private Limited, R/o Shop No. 150, 106, 2nd Floor, Shri Ram Heritage, Netaji Chowk, Katora Talab, District-Raipur (MP)-492001, E-mail-garimanatural2020@gmail.com, Mobile-9893933372 Prior Environment Clearance for Chakariya Gold Block in an area of 23.57 ha. (Gold-12553, Mine Waste-119250 TPA) (Khasra No. 848/2, 848/3, 1111, 1118, 358, 847, 848/1, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 853, 1110, 1111, 1112/1, 1112/2, 1112/3, 1113, 1114, 1115, 1116/1, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1119, 1120, 1121, 1122/1, 1122/2, 1122/3, 1122/4, 1125, 1126/1/1, 1126/1/2, 1126/2, 1126/3, 1123, 1127/1/1, 1127/1/2, 1127/2, 1127/3, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1144/4, 1128, 1124), Village-Chakariyadand, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP) [426574]	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं0. — 848/2, 848/3, 1111, 1118, 358, 847, 848/1, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 853, 1110, 1111, 1112/1, 1112/2, 1112/3, 1113, 1114, 1115, 1116/1, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1119, 1120, 1121, 1122/1, 1122/2, 1122/3, 1122/4, 1125, 1126/1/1, 1126/1/2, 1126/2, 1126/3, 1123, 1127/1/1, 1127/1/2, 1127/2, 1127/3, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1144/4, 1128, 1124), ग्राम — चकरियाडांड, तह. — चितरंगी, जिला — सिंगरौली (म.प्र.).	23.57 हेक्टेयर शासकीय एवं निजी
परियोजना की श्रेणी	बी-1 श्रेणी, ToR (Proposed ToR Submitted by PP).	
खनन कार्य: (परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार)।	The mine is proposed to be worked by opencast mining, by adopting a system of deep hole both for blasting and working with the help of heavy machinery for digging, excavation and removal of Ore, over burden/mine reject. All operations of mining, including DTH drill and deep hole blasting, excavation, loading & transportation on single shift basis, shall form the complete agenda of mining operation.	
डिया द्वारा जारी ई.सी.	लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा गोल्ड - 12553 TPA, माइन वेस्ट - 119250 TPA. (परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार) आवेदन किया गया है और	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

	अनुमोदित खनन योजना अनुसार गोल्ड - 12553 TPA, माइन वेस्ट - 119250 TPA स्वीकृत है।
सैद्धान्तिक सहमति/LOI	पत्र क्र०. एफ. 3-12/2020/12/1 भोपाल दिनांक 14/09/2020.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के संशोधित एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 737 दिनांक 03/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित है, जिनका कुल रकबा 23.57 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	वनमंडलाधिकारी सिंगरौली के प्रतिवेदन क्रमांक 501 दिनांक 24/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन स्थित नहीं है। वनमंडलाधिकारी सिंगरौली के प्रतिवेदन क्रमांक 501 दिनांक 24/01/2023 अनुसार आवेदित स्थल बीट सिल्फोरी के वन कक्ष क्रमांक पी. 163 से 09 मीटर की दूरी पर स्थित है। अतः प्रकरण नियमानुसार संभाग स्तरीय समिति की ओर प्रेषित किया गया। संभाग स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01/03/2019 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण में सशर्त स्वीकृति प्रदाय की गई है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर जिला सिंगरौली द्वारा पत्र क्रमांक 737 दिनांक 30/03/2023 अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई अन्तराज्यीय सीमा स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र के अंदर कई पेड़ लगे हुए हैं।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	खदान क्षेत्र के अंदर कई सारे आवासीय मकान हैं एवं मध्य से एक कच्चा रोड़ उत्तर से दक्षिण दिशा में निकल रही है। खदान क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम की ओर कई सारे विखरे हुए मकान दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण पूर्व दिशा- पक्का रोड़ 349 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	लागू नहीं

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. खदान क्षेत्र के अंदर कई सारे आवासीय मकान हैं एवं मध्य से एक कच्चा रोड़ उत्तर से दक्षिण दिशा में निकल रही है। खदान क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम की ओर कई सारे विखरे हुए मकान

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

दिखाई दे रहे हैं, उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुए ई.आई.ए. रिपोर्ट में आवश्यक प्रावधान किये जाये ।

2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. खदान क्षेत्र में उपलब्ध स्वाइल की माइक्रो एवं मेक्रो न्यूट्रियंस का विश्लेषण कर उसका ईआईए रिपोर्ट में उल्लेख किया जाये ।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

31. Case No 10099/2023 Shri Chanchal Damor, Lease Owner, R/o Village-Umarkot, District-Jhabua (MP)-457775, Prior Environment Clearance for Dhabaipada Stone Mine in an area of 5.00 ha. (38000 cum per year) (Khasra No. 10/1/1/Ka), Village-Dhabaipara, Tehsil-Ratlam, District- Ratlam (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री चंचल डामोर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri CHANCHAL DAMOR, lease owner, village-Umarkot, district-jhabua (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	10/1/1/Ka (सरकारी भूमि –नॉन फॉरेस्ट)	5.00 ha
स्थल	Village- Dhabaipada Tehsil- Ratlam Distt.- Ratlam (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 6543-47 दिनांक 10/05/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार कंट्रोल ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-38,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-38,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1996 दिनांक 29/11/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 15.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1996 दिनांक 29/11/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1996 दिनांक 29/11/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत राजपुरा जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-16 दिनांक 26/10/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1996 दिनांक 29/11/22 अनुसार 50 मीटर की दूरी पर नाला है उत्तर पश्चिम दिशा- नदी 276 मीटर, दक्षिण पूर्वी दिशा- पक्का रोड़ 491 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम ने एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1996 दिनांक 29/11/22 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल की ली जायेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

	स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
--	--

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1996 दिनांक 29/11/22 अनुसार 50 मीटर की दूरी पर नाला है एवं प्रश्नाधीन खदान के उत्तर पश्चिम दिशा- नदी 276 मीटर तथा दक्षिण पूर्वी दिशा- पक्का रोड़ 491 मीटर पर है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. क्षेत्र में जल रिसाव बढ़ाने तथा स्वाईल इरोजन को रोकने के उद्देश्य से क्षेत्र की जल प्रवाह प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाये ।
8. क्षेत्र में जल रिसाव बढ़ाने तथा स्वाईल इरोजन को रोकने के उद्देश्य से क्षेत्र की जल प्रवाह प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाये ।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

32. Case No 10167/2023 Shri Sanjeev Kumar Katiyar, Director, m/s Maa Banjari Mineral Private Limited, R/o 158, Zone-2, M.P. Nagar, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Chandla Granite, Stone & M-Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (Granite – 11,000 cum per year, Stone – 15,000 cum per year, M-Sand-15,000, Waste 59,355 cum per year) (Khasra No. 2555), Village-Chandla, Tehsil-Chandla, District-Chhatrapur (MP).

परियोजना प्रस्तावक श्री संजीव कुमार कटियार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Sanjeev Kumar Katiyar, Director of M/s Maa Banjari minerals Pvt. Ltd, 158, Zone-2, MP Nagar Bhopal Madhya Pradesh	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2555(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.90 Hect.
स्थल	Village Chandla, Tehsil-Chandla, District- Chattarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 1403 दिनांक 31/01/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रेनाइट-11,000 घनमीटर/वर्ष, पत्थर-15,000 घनमीटर/वर्ष, एम-सैंड-15,000 घनमीटर/वर्ष एवं सेलेबल वेस्ट-59,355 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ग्रेनाइट-11,000 घनमीटर/वर्ष, पत्थर-15,000 घनमीटर/वर्ष, एम-सैंड-15,000 घनमीटर/वर्ष एवं सेलेबल वेस्ट-59,355 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1391 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.025 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1391 दिनांक 23/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1391 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर परिषद्, चंदला जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1668 दिनांक 15/10/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से निकाय को कोई आपत्ति नहीं है ।	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र पहाड़ पर स्थित है । दक्षिण दिशा – तालाब 176 मीटर, आबादी 119 मीटर एवं पक्का रोड़ 158 मीटर, दक्षिण पश्चिम आबादी 63 मी., उत्तर-पश्चिम –कच्चा रोड़ 70 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर ने पत्र क्रमांक 1431 दिनांक 26/06/23 द्वारा सूचित किया है कि उक्त खदान को अद्यतन डी.एस.आर. में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान 54 मीटर पहाड़ पर स्थित है एवं पहाड़ की ढलान दक्षिण दिशा में आबादी की ओर है, अतः खनन पहाड़ के दूसरी तरफ प्रस्तावित किया जाये, जिससे कि बस्ती पर संभावित दुर्घटना का कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, अतः इस क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र छोड़ते हुए उस क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा – तालाब 176 मीटर, आबादी 119 मीटर एवं पक्का रोड़ 158 मीटर, दक्षिण पश्चिम आबादी 63 मीटर एवं उत्तर-पश्चिम –कच्चा रोड़ 70 मी. अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन फोटोग्राफ (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. खदान के लीज क्षेत्र की स्लोप आवासीय क्षेत्र की तरफ है, अतः उस तरफ सघन वृक्षारोपण के साथ भू-क्षरण रोकने हेतु सक्षम प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये । चिन्हित किए गए नॉन माईनिंग क्षेत्र में उचित तरह के बीज बोने का प्रावधान किया जाये ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. एम-सेंड प्लांट से उत्पन्न होने वाले स्लज के प्रबंधन का प्रस्ताव ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. क्षेत्र में जल रिसाव बढ़ाने तथा स्वाइल इरोजन को रोकने के उद्देश्य से क्षेत्र की जल प्रवाह प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाये ।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

33. Case No 10080/2023 Shri ANIL CHATURMOHTA, Proprietor, Anil Chaturmohta Proprietorship of Arpan ferro Alloys S/o Indarchand Chaturmohta, Ward no. 11, Infront of FCI Kosmi, Balaghat District-Balaghat (MP), Prior Environment Clearance for Mohagaonghat Manganese Ore Mine in an area of 28.01 ha. (5741.77 cum per year) (Khasra No. 396), Village –Mohagaonghat, Tehsil- Waraseoni,, District-Balaghat (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल चतुरमोहता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri ANIL CHATURMOHTA, Proprietor, Anil Chaturmohta Proprietorship of Arpan ferro Alloys S/o Indarchand Chaturmohta, Ward no. 11, Infront of FCI Kosmi, Balaghat, Balaghat, Madhya Pradesh	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	396 (सरकारी-फॉरेस्ट लैंड)	28.02ha
स्थल	Village –Mohagaonghat, Tehsil- Waraseoni, Distt-. Balaghat, Madhya Pradesh	
लीज डीड	लीज डीड दिनांक 11/01/2017.	
श्रेणी (बी-1/ बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है, अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का पालन प्रतिवेदन अपलोड नहीं है, अतः ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मैग्नीज ओर-5,741.77 घनमीटर/ वर्ष हेतु आवेदन किया गया है ।	
500 मीटर की परिधि में	चूँकि प्रकरण प्रमुख खनिज मैग्नीज ओर का से बी-1 श्रेणी का है ।	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

अन्य खदानें	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	वनमण्डलाधिकारी की 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र संबंधी जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड नहीं की गई । आवेदित क्षेत्र वन भूमि होने के कारण फॉरेस्ट क्लियरेंस हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में Proposal No. : FP/MP/MIN/ 19894/2016 दिनांक 15/7/16 को ऑनलाईन आवेदन किया गया है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा 500 मीटर राजस्व संबंधी जानकारी अपलोड नहीं की गई है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मोहगौवघाट जिला बालघाट के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 04/10/16 को प्रस्तावित वन भूमि पर खनन कार्य हेतु अनुशंसा की गई है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कई सारे पेड़ लगे हुए हैं ।\
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा – जल निकाय क्षेत्र 336 मीटर
	पूर्व दिशा— जल निकाय क्षेत्र 327 मीटर

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है, अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का पालन प्रतिवेदन अपलोड नहीं है, अतः ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. ईआईए रिपोर्ट के साथ स्टेज-1 फॉरेस्ट क्लियरेंस संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करें ।
3. प्रश्नाधीन खदान में पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
4. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर पूर्व दिशा – जल निकाय क्षेत्र 336 मीटर तथा पूर्व दिशा— जल निकाय क्षेत्र 327 मीटर पर है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

9. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
10. क्षेत्र में जल रिसाव बढ़ाने तथा स्वाईल इरोजन को रोकने के उद्देश्य से क्षेत्र की जल प्रवाह प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाये ।
11. खदान क्षेत्र वन भूमि के अंतर्गत है, अतः वाईल्ड लाईफ संरक्षण योजना के साथ फॉरेस्ट विलीयरेंस संबंधी दस्तावेज ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

34. Case No 10067/2023 M/s Jay Mahavir Minerals, Owner, Plot No. 14, Misal Layout, Nagbhoomi Society, Indora, District-Nagpur (MH)-441106, Prior Environment Clearance for Nimha Laterite Mine in an area of 13.428 ha. (10202 TPA) (Khasra No. 583), Village-Nimaha, Tehsil-Kotar, District-Satna (MP)

परियोजना प्रस्तावक M/s Jay Mahavir Minerals एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र.द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	M/S. JAY MAHAVIR MINERALS, Owner, Plot No 14, Misal Layout, Nagbhoomi Society, Indora, Nagpur, M.H.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	583 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	13.428
स्थल	ग्राम NIMAHA तसहील Kotar जिला Satna (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 12952 दिनांक 23/09/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेटराईट-10,202 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार लेटराईट -10,202 टीपीए हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 721 दिनांक 10/4/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 66.627 हे.	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

	होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 721 दिनांक 10/4/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 721 दिनांक 10/4/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पटनाखुर्द जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-8 दिनांक 20/06/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में पेड़ लगे हुए हैं।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र का पूर्वी भाग खुदा हुआ है एवं खदान के अंदर आवासीय मकान दिखाई दे रहे हैं एवं खदान के अंदर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम दिशा में एक पक्का रोड़ निकल रहा है। दक्षिण दिशा- आबादी है, दक्षिण पूर्वी दिशा – जल रोकने की संरचना 149 मीटर, दक्षिण पूर्व दिशा में शेड 265 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना ने पत्र क्रमांक 1102 दिनांक 09/06/23 के द्वारा सूचित किया है कि उपरोक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) होने जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट में स्वीकृत उत्खनिपट्टा शामिल किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के खदान क्षेत्र का पूर्वी भाग खुदा हुआ है एवं खदान के अंदर आवासीय मकान दिखाई दे रहे हैं एवं खदान के अंदर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम दिशा में एक पक्का रोड़ निकल रहा है, दक्षिण दिशा— आबादी है, दक्षिण पूर्वी दिशा — जल रोकने की संरचना 149 मीटर, दक्षिण पूर्व दिशा में शेड 265 मीटर अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
5. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

35. Case No 10169/2023 Shri Pawan Kumar Agrawal, Director, M/s Pawsun Industries Private Limited, R/o Flat No. A/105, Bashir Ahmed Complex, Link Road, District-Bilaspur, (CG)-495001, Prior Environment Clearance for establishment of Coal Washery (Heavy Media) Plant in an area of 17.477 ha. (2.48 MTPA) (Khasra No. 784, 786, 795, 796, 797, 810, 811, 813/1, 814/1, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1023, 1025) Village-Gondwali, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP)

This is case of Prior Environment Clearance for establishment of Coal Washery (Heavy Media) Plant in an area of 17.477 ha. (2.48 MTPA) (Khasra No. 784, 786, 795, 796, 797, 810, 811, 813/1, 814/1, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1023, 1025) Village-Gondwali, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP).

The case was presented by the PP Shri Pawan Kumar Agrawal, Director and their Environmental consultant M/s. Pioneer Enviro Laboratories & Consultants Pvt. Ltd., Hyderabad, Telangana wherein PP submitted that -

1.	Proposal /Activity Name	Pawan Kumar Agrawal, Director, PAWSUN MINERALS AND COAL BENEFICATION PRIVATE LIMITED, Flat No. 105A, Bashed Ahmed Complex, Link Road, Bilaspur, Chhattisgarh - 495001
2.	Proposal	New, Establishment of 2.48 MTPA Wet type (Heavy Media) Coal Washery, Land Area - 10.71 Ha., Khasra No. - 784, 786, 795,796,797,810, 811, 813/1, 814/1, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1023, 1025, Village – Gondwali, Tehsil- Deosar, Distt. – Singrauli (M.P.),

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

3.	Location of Project : <i>Prior Environment Clearance for 2(a) Coal Washery Project.</i>		
4.			
	Name of Product		Quantity / Capacity
	Washery Rejects		0.744
	Washed Coal		1.736
5.	Forest Area applied for diversion - (As per Proposal in Form-1)		
6.	ToR Status: Proposed		
7.	CGWA NOC Permission will be obtained in due course and details will be submitted during EC appriaisal		
8.	Undertaking	No activity/ construction / has since been taken up.	Submitted
9.	Range of ground water table- pre-monsoon 9.0 m bgl and post-monsoon 3.0 bgl		(As per Form),
Documentary Details			
10.	P-II form (Khasra Panchshala)	Submitted	
11.	Tehsildar Certificate	PP Submitted Undertaking letter dated 30/05/2023 (U.P. State -18.4 km.)	
12.	DFO NOC	Not Submitted.	
13.	Gram Sabha /Gram Panchayat Tharav Prastav – Not submitted		
14.	Env. Consultant.	Pioneer Enviro Laboratories & Consultants Pvt. Ltd., Hyderabad, Telangana, Valid till 06/06/2023.	
15.	CTO/CTE	NA	
16.	DG Set details	2 x 500 KVA (As Per form)	
17.	PFR	Submitted	(Pg.- 1 - 82).
18.	EMP /EIA	Copy Enclosed	(Pg .1-351).
19.	Green Belt develop	10.71Ha., No. of tree Sapling to be Planted-9000 No.	(As Per form)
20.	Risc Assesment	Risk Management Plan will be during EIA study	(As Per form)
21.	Rain Warer Harvesting details	Not submitted	
22.	Any tree cutting proposed is observed	No Tree Cutting is proposed.	
23.	Google image status- Coordinates (As per PFR) Pg. 13-19.		

After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with following conditions and as per Annexure-D:

- i) Detail tree inventory of the area wrt to girth, height, species & their respective number and management plan shall be submitted with the EIA report.
- ii) The proposed coal washing technology shall be discussed in detail in the EIA report. The washing technology shall be so chosen to conform to ‘Zero Liquid Discharge’.
- iii) Clarification from forest department that allocated area does not fall under elephant movement area.
- iv) Impact Assessment Study of the area shall be carried over by project proponent considering Ecological service system amd loss to be assessed regarding flora and fauna.

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

- v) For proper baseline air quality assessment, Wind rose pattern in the area should be reviewed and accordingly location of AAMSQ shall be planned by the collection of air quality data by adequate monitoring stations in the downwind areas. Monitoring location for collecting baseline data should cover overall the 10 km buffer zone i.e. dispersed in 10 km buffer area.
- vi) Project proponent to prepare Environmental Cost Benefit Analysis for the project in EIA/EMP Report.
- vii) Permission for ground water withdrawal shall be obtained from Central Ground Water Authority (CGWA).
- viii) Impact of proposed project/activity on hydrological regime of the area shall be assessed and report be submitted. Hydrological studies as per GEC 2015 guidelines to be prepared and submitted.
- ix) Heavy metals including other parameters in surface water quality shall be analyzed and provided in EIA Report.
- x) The parameters Arsenic, Lead and Silica shall also be analyzed in ambient air quality.
- xi) Details of mode of transportation including laying conveyor belt for transportation of coal from nearest mine to the washery and a plan for reduction of number of trucks for transportation of coal.
- xii) PP shall work on the layout and sitting of washery so that coal storage area, crushing units and rejects storage area shall not be near the villages or cause any pollution to agricultural land.

36. Case No 10274/2023 Shri Mahesh Kumar Mourya, Director, M/s Triveni Clays Private Limited, 436, 4th Floor, Electronic Market, Gopalpura, Bypass, District-Jaipur (Rj.). Prior Environment Clearance for Talgaon Stone and M-Sand Quarry in an area of 3.738 ha. (M-Sand-50724, Stone-50724 cum per year) (Khasra No. 455P), Village-Taigaon, Tehsil-Rajnagar, District-Chhatarpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक महेश कुमार मोर्या एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांगनीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri MAHESH KUMAR MOURYA, DIRECTOR, M/s TRIVENI CLAYS PRIVATE LIMITED, 436, 4TH FLOOR, ELECTRONIC MARKET, GOPALPURA, BYPASS, JAIPUR, RAJASTHAN.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	455(P) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.738 Hectares.
स्थल	Village Talgaon, Tehsil Rajnagar, District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 15655-60 दिनांक 17/11/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल पत्थर एवं एम-सैंड उत्पादन क्षमता-1,01,448 घनमीटर/वर्ष (एम-सैंड-50,724 घनमीटर/वर्ष एवं पत्थर-50,724 घनमीटर/वर्ष) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार एम-सैंड-50,724 घनमीटर/वर्ष एवं पत्थर-50,724 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 891 दिनांक 24/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 14.576 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-.... श्रेणी के अंतर्गत आता है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 891 दिनांक 24/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 891 दिनांक 24/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तालगांव जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-12 दिनांक 15/08/21 नुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान के अंदर पेड़ है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान पहाड़ पर स्थित है।
	उत्तर दिशा- पक्का रोड़ 69 मीटर
	पूर्व दिशा- शेड 416 मीटर
	पश्चिम दिशा- पक्का रोड़ 319 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर ने पत्र क्रमांक 946 दिनांक 03/05/23 द्वारा सूचित किया है कि उक्त खदान को अद्यतन डी.एस.आर. में सम्मिलित किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

	हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
--	-----------------------------------

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण-पश्चिम भाग में एवं उत्तर दिशा में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा- पक्का रोड़ 69 मीटर, पूर्व दिशा- शेड 416 मीटर तथा पश्चिम दिशा- पक्का रोड़ 319 मीटर पर है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. एम-सेंड प्लांट से निकलने वाली स्लरी के प्रबंधन हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाये ।
8. सरफेस मेप में नॉन माईनिंग क्षेत्र से इस तरह से सुनिश्चित किया जाये ताकि वाटर फ्लो दाहिनी ओर रहे ।
9. क्षेत्र में जल रिसाव बढ़ाने तथा स्वाइल इरोजन को रोकने के उद्देश्य से क्षेत्र की जल प्रवाह प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाये।
10. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण एवं कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं उक्त क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र दर्शावे, जिससे कि जल का प्रवाह निर्बाध रूप बना रहे ।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

37. Case No 10275/2023 Shri Mukesh Kumar, Director, M/s Mukesh Kumar and Company, 347, Khanak Tosham, Bhivani, (HR)-127040, Prior Environment Clearance for Talgaon Stone and M-Sand Quarry in an area of 3.200 ha. (M-Sand-50001, Stone-50001 cum per year) (Khasra No. 455P), Village-Taigaon, Tehsil-Rajnagar, District-Chhatarpur (MP)

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

परियोजना प्रस्तावक मुकेश कुमार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri MUKESH KUMAR, DIRECTOR, M/S MUKESH KUMAR AND COMPANY, 347, KHANAK TOSHAM, BHIVANI, HARIYANA.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	455(P) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.200 hectares.
स्थल	Village Talgaon Tehsil Rajnagar District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 15655-60 दिनांक 17/11/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लैस्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लैस्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-50,001 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सेंड-पत्थर-50,001 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-50,001 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सेंड-पत्थर-50,001 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 890 दिनांक 28/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 14.38 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 890 दिनांक 28/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 890 दिनांक 28/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत तालगांव जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-9	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

की अनापत्ति	दिनांक 15/08/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान के अंदर पेड़ है । Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र पहाड़ पर स्थित है । उत्तर दिशा— पक्का रोड़ 14 मीटर ,उत्तर पूर्व दिशा— भवन 460 मीटर एवं 181 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर ने पत्र क्रमांक 946 दिनांक 03/05/23 द्वारा सूचित किया है कि उक्त खदान को अद्यतन डी.एस.आर. में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रश्नाधीन खदान पहाड़ पर स्थित है एवं प्रकरण क्रमांक — 10275/2023 को पर्यावरणीय दृष्टि से संरक्षित रखा जाना उचित प्रतीत होता है एवं भविष्य में भी खसरा मेप के अनुसार दो अन्य खदानें प्रस्तावित है। अतः केवल 01 खदान प्रकरण क्र०. 10274/2023 (एरिया —3.738 हे०.) को टॉर के लिये समिति द्वारा अनुशंसित किया जाता है एवं शेष अन्य 02 खदानों जो कि 500 मी०. की परिधि में पूर्व से ही स्वीकृत है। उनको भविष्य में आने वाली प्रस्तावित खदानों को भी पर्यावरणीय स्वीकृति न दी जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है।

Not Recommended.

38. Case No 10105/2023 Shri Agyat Gupta, Director, M/s DG Marble and Granites LLP, C/o 158, 3rd Floor, Zone-II, M.P. Nagar, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bhitariya Granite Deposit & Boulder, Gitti, M-Sand Quarry in an area of 2.80 ha. (Granite-1263, Boulder-5375.20, M-Sand-16125.6, Gitti-5375.2 cum per year) (Khasra No. 550), Village-Mirka Protected Forest, Tehsil-Laundi, District-Chhatarpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक अगत्य गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Agyat Gupta, DIRECTOR, M/s DG MARBEL AND GRANITES LLP, 158 3rd Floor, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	550 (सरकारी-वन भूमि)	2.80 Ha.
स्थल	Village Bhitariya, Tehsil Lavkushnagar, District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1248 दिनांक 13/05/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रेनाइट-1263 घनमीटर/वर्ष, बोल्टर-5375.2 घनमीटर/वर्ष, एम-सेंड-16,125.6 घनमीटर/ वर्ष एवं गिट्टी-5375.2 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार ग्रेनाइट-1263 घनमीटर/वर्ष, बोल्टर-5375.2 घनमीटर/वर्ष, एम-सेंड- 16,125.6 घनमीटर /वर्ष एवं गिट्टी-5375.2 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 62 दिनांक 06/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.783 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	एकल प्रमाण पत्र में उल्लेखित वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल छतरपुर के पत्र क्रमांक 2964 दिनांक 07/06/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं है एवं निकटतम वन सीमा वन कक्ष क्रमांक-पी-709 का भाग है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने आवेदन दिनांक 04/07/23 द्वारा ईआईए रिपोर्ट के साथ वन मंजूरी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, इस आधार पर प्रकरण में टॉर जारी करने का अनुरोध किया गया है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 62 दिनांक 06/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाइन/ सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत दौनी जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-14 दिनांक	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

की अनापत्ति	21/11/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र के अंदर पेड़ है ।\
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र पहाड़ पर स्थित है । दक्षिण दिशा— कच्चा रोड़ 07 मीटर

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ फॉरेस्ट किलीयरेंस प्राप्त होने की स्थिति में टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के अंदर दक्षिण दिशा— कच्चा रोड़ 07 मीटर पर है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल छतरपुर के पत्र क्रमांक 2964 दिनांक 07/06/22 अनुसार निकटतम वन सीमा वन कक्ष क्रमांक—पी-709 का भाग है, अतः प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत परियोजना प्रस्तावक आवेदन प्रस्तुत करे एवं इसका उल्लेख ई.आई.ए. रिपोर्ट में करते हुये वस्तुस्थिति से अवगत कराये।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. चूँकि आवंटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
7. स्लोप, ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
10. खदान क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत है, अतः इकोलॉजीकल डेमेज असेसमेंट की जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. खदान क्षेत्र में दिख रहे स्ट्रक्चर्स के संबंध में एएसआई की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्तुत करें ।

अनुशंसा :— टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

39. Case No 10106/2023 Shri Agyat Gupta, Director, M/s DG Marble and Granites LLP, C/o 158, 3rd Floor, Zone-II, M.P. Nagar, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bhitariya Granite Deposit & Boulder, Gitti, M-Sand Quarry in an area of 1.556 ha. (Granite-1006, Boulder-4299.8, M-Sand-12899.4, Gitti-4299.8 cum per year) (Khasra No. 455), Village-Mirka Protected Forest, Tehsil-Laundi, District-Chhatarpur (M.P.).

परियोजना प्रस्तावक अगत्य गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Agyat Gupta, DIRECTOR, M/s DG MARBEL AND GRANITES LLP, 158 3rd Floor, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	55 (सरकारी-वन भूमि)	1.556 Ha.
स्थल	Village Bhitariya, Tehsil Lavkushnagar, District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1247 दिनांक 13/05/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रेनाइट-1106 घनमीटर/वर्ष, बोल्टर-4299.8 घनमीटर/वर्ष, एम-सैंड-12,899.4 घनमीटर/ वर्ष एवं गिट्टी-4299.8 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार ग्रेनाइट-1106 घनमीटर/वर्ष, बोल्टर-4299.8 घनमीटर/वर्ष, एम-सैंड- 12,899.4 घनमीटर/ वर्ष एवं गिट्टी-4299.8 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 57 दिनांक 06/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 19.072 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	एकल प्रमाण पत्र में उल्लेखित वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल छतरपुर के पत्र क्रमांक 2871 दिनांक 03/06/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं	

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 अगस्त 2023

	है एवं निकटतम वन सीमा कक्ष क्रमांक-पी-708 का भाग है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने आवेदन दिनांक 04/07/23 द्वारा ईआईए रिपोर्ट के साथ वन मंजूरी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, इस आधार पर प्रकरण में टॉर जारी करने का अनुरोध किया गया है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 57 दिनांक 06/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दौनी जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-13 दिनांक 21/11/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान के अंदर पेड़ है । Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा- जल निकाय क्षेत्र - 77 मीटर

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा- जल निकाय क्षेत्र - 77 मीटर पर है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. खदान क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत है, अतः फॉरेस्ट विलीयरेंस से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये ।

8. खदान क्षेत्र में दिख रहे स्ट्रक्चर्स के संबंध में एएसआई की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्तुत करें ।
9. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत फॉरेस्ट विलीयरेंस प्राप्त होने की स्थिति में टॉर जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

40. Case No. - 6322/2019 M/s Sai Minerals, Shri Sanjay Jain, CL 34, Deendayal Nagar, Dist. Gwalior, MP – 474020 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (85,034 cum per annum) (Khasra No. 3619/3), Village - Bilaua, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP).EIA Consultant: Green Circle INC, Vadodara.

This is case of 2.00 Ha Stone Quarry proposed at (Khasra No. 3619/3), Village - Bilaua, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP). The project requires prior EC before commencement of any activity at site. PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office letter No. QL-104 dated: 29/12/14 has reported that there are 05 more mine operating or proposed within 500 meters around the said mine with total area of 11.625 ha., including this mine.

- The TOR was recommended by SEAC to the PP in the SEAC 378th dated 03.07.2019.
- The committee observed that the validity of the TOR has already been expired as per Ministry of Environment, Forest and Climate Change OM No. J-11013/41/2006-IA-11 (I) (Part) dated 09th August, 2017.

Wherein it is mentioned that -

The validity of ToRs for projects/activities (except for River Valley and HEP Projects), for submission of EIA/EMP reports shall be three years. The above validity period can be extended by the concerned Regulatory Authority for a maximum period of one year without referring the proposal to the EAC/SEAC concerned, provided an application is made by the applicant before expiry of the validity period, together with an updated Form-1 and proper justification and there is no change in terms and conditions of the ToRs. After the expiry of validity, such extension will need EAC/SEAC consideration. Hence, it is decided by the SEAC that the PP shall submit fresh application through Parivesh Portal, however, as per the current circumstances there is no need for any new TOR hence the decision may be taken by the SEIAA accordingly as per the MoEF&CC guidelines.

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक कतिपय कारणों से टॉर के एक्सटेंशन हेतु निर्धारित समयावधि में सिया आवेदन नहीं करने के कारण टॉर एक्सटेंशन किया जाना संभव नहीं है। चूंकि प्रकरण सिया ने प्रेषित किया है यदि सिया चाहे अपने स्तर से टॉर एक्सटेंशन पर विचार कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से –

खनिज विभाग द्वारा प्रदेश में कुछ क्षेत्रों (ग्राम में या आस-पास के ग्राम समूह में) स्थित पहाड़ों के संदर्भ में जो खदानें आवंटित होती हैं वहां पर आस-पास बहुत सी खदानें संचालित होना परिलक्षित हो रही है एवं वर्तमान में कुछ ही पहाड़ ही शेष बचे हैं जहां कि खनन कार्य संचालित नहीं हो रहा है। पहाड़ों के आस-पास पशुओं के विचरण की व्यवस्था सुचारु रूप से बनी रहे एवं ज्ञात हो कि छोटी-छोटी पहाड़ी स्थानीय स्तर पर सूक्ष्म मौसम तंत्र (**Micro Climate System**) स्थापित करने में पहाड़ अपना योगदान देते हैं। अतः खनिज विभाग किसी गांव विशेष या समीपस्थ स्थिति में सभी पहाड़ियों पर खनन कार्य स्वीकृत न करते हुये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों को बचाया रखा जाये ऐसा समिति का सुझाव है। इस आशय का पत्र सिया द्वारा कार्यालय, संचालनालय (DGM), भौमिकी एवं खनिकर्म, भोपाल को लिखा जाना उपयुक्त होगा ।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट नर्मदापुरम (संशोधित रेत खदान)।

समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृत नर्मदापुरम जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का आज दिनांक 03/08/2023 को प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का परीक्षण किया गया जिसमें कुछ असमानतायें एवं अस्पष्टता पायी गयी जिसके संबंध में मौखिक रूप से श्री देवेश मरकाम, खनिज अधिकारी, नर्मदापुरम को अवगत कराया गया कि उक्त सुधार उपरांत समिति के समक्ष पुनः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट नर्मदापुरम (संशोधित रेत खदान) प्रस्तुत करें।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 अगस्त 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 अगस्त 2023

20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 अगस्त 2023

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 अगस्त 2023

DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 अगस्त 2023

15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 अगस्त 2023

16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yeears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 अगस्त 2023

- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :

- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्विंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 सें. मी.

665वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 अगस्त 2023

2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर